उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या: 3/2026/183/XXX-4-2026-30-4099(099)/72/2021/1404987
लखनऊ: दिनांक 13 मार्च,2026

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 93 की उपधारा (1) और धारा 67 की उपधारा (3) तथा धारा 96 की उपधारा (2) के खण्ड (XXXIII) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 को संशोधित करने की दृष्टि से जिस नियमावली को बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम, सन 1988 की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, समस्त संबंधित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

- प्रस्तावित नियमावली के संबंध में यदि कोई आपत्तियां और सुझाव हों, तो उन्हें विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ को लिखित रूप में अथवा ई-मेल आईडी specialsecretarytransport@gmail.com पर प्रेषित किया जाना चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति, जिसने लिखित रूप में आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत किए हैं, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन अनुभाग-4, बापू भवन, सचिवालय, लखनऊ के समक्ष कक्ष संख्या-434 में किसी भी कार्यदिवस को पूर्वाह्न 09:30 बजे से अपराह्न 06:00 बजे के मध्य सुनवाई के लिए उपस्थित हो सकता है।
- केवल ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जाएगा जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीस दिनों की अवधि के भीतर प्राप्त होंगे।

प्रारूप नियमावली
उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026

शीर्षक	
संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना	1.(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026 कही जायेगी। (2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से पंद्रह दिन पश्चात् प्रवृत्त होगी। (3) यह उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर समूहक संक्रियाओं पर लागू होगी।
उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 नवीन अध्याय का बढ़ाया जाना	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के अध्याय-5 के पश्चात, निम्नलिखित नया अध्याय बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:— अध्याय 5-क उत्तर प्रदेश मोटर यान (समूहक और वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026
प्रवर्तन/प्रवृत्त किया जाना	125-क: यह अध्याय किसी भी समूहक और वितरण सेवा प्रदाता से संबद्ध समस्त परिवहन यानों पर लागू होगा।

परिभाषायें-	125-ख.(1) इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- एक. "अधिनियम" का तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 से है; दो. "समूहक" का तात्पर्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (1क) में इसे समनुदेशित अर्थ होगा। तीन. "ऐप" का तात्पर्य समूहकया समूहकके निमित्त किसी तृतीय पक्ष द्वारा विकसित और अनुरक्षित डिजिटल एप्लिकेशन से है; चार. "आवेदन फीस" का तात्पर्य नियम 125-च के अधीन किसी एप्लिकेशन के संबंध में प्रभार से है; पांच. "वितरण सेवा प्रदाता''- का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई से होगा जो किसी उत्पाद, कूरियर, पैकेज या पार्सल को वितरित/लेने का प्रस्ताव करने वाले चालक को विक्रेता, ई-कॉमर्स इकाई या परेषक से जोड़ने के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या किसी अन्य माध्यम से मोटर यान(नों) के फ्लीट का स्वामी है, या उसका संचालन/ऑनबोर्ड करता है, या उसका प्रबंधन करता है। छह. "ई-कॉमर्स इकाई''- का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति या इकाई से है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का स्वामित्व, संचालन या प्रबंधन करता है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा समय-समय पर उक्त प्रयोजन के लिए अन्यथा अधिसूचित कोई इकाई या कारबार सम्मिलित नहीं है। सात. "प्रभाजित किराया" का तात्पर्य किराये के ऐसे भाग से है जो समूहक द्वारा प्रतिधारित किया जाता है; आठ. "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 93 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु प्राधिकृत उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन प्राधिकरण से है; नौ. "संविदा" का तात्पर्य समूहक और चालक के बीच हुए करार से है, जिसमें ऐसे समूहक के ऐप के माध्यम से यात्री को सेवाएं प्रदान करने के लिए दोनों पक्षों के अधिकारों और दायित्वों को विनिर्दिष्ट किया गया हो; दस. "अभिहित पोर्टल" का तात्पर्य इस अध्याय के नियम 125-घ में निर्दिष्ट केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित और अधिसूचित किये जाने वाले पोर्टल से है; ग्यारह. "चालक किराया" का तात्पर्य यात्रा के दौरान ऐप के माध्यम से यात्री को प्रदान की गई सेवाओं के लिए समूहक द्वारा चालक को संदेय किराये के ऐसे भाग से है, जिसमें चालक द्वारा संदेय टोल का मूल्य और पार्किंग फीस सम्मिलित है; बारह. "गतिशील मूल्य" का तात्पर्य समूहक के किराए के किराया एल्गोरिथ्म का उत्पाद से है, जहाँ यात्रा का किराया तब बढ़ाया जाता है जब यात्राओं की माँग यानों की आपूर्ति से अधिक हो जाती है; तेरह. "किराया" का तात्पर्य यात्री द्वारा समूहक को संदेय कुल प्रभार से है,(किसी भी लागू छूट/वृद्धि सहित), जो किसी यात्रा के लिए ऐप के माध्यम से समूहक प्लेटफ़ॉर्म पर परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने वाले यात्री के अनुसरण में है; चौदह. "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र से है; पंद्रह."शिकायत प्रतितोष अधिकारी सह अनुपालन अधिकारी" का तात्पर्य समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त व्यक्ति से है,जो परिवहन विभाग के सक्षम

	प्राधिकारी और नोडल अधिकारियों के साथ समूहक या वितरण सेवा प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम उत्तरदायी पद धारण करते हुए प्रत्यायोजित मुख्तारनामा के साथ समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के निमित्त कार्य करने के लिए आवश्यक प्राधिकार धारक आवेदक का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और परिवहन विभाग के लिए संविदा का एकमात्र बिंदु होगा और किसी भी यात्री या चालक की शिकायत के प्रतितोष के लिए उत्तरदायी होगा; सोलह. "नोडल अधिकारी"- का तात्पर्य अपने-अपने क्षेत्रों में चालक या यात्री की शिकायतों के निवारण के प्रयोजन हेतु समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त शिकायत प्रतितोष अधिकारी के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए प्रत्येक सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र) से है; सत्रह. "प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 125-ट के अधीन विनिर्दिष्ट प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम से है; अठारह. "यात्रा" का तात्पर्य प्रस्थान स्थल से गंतव्य तक, विनिर्दिष्ट तिथि और समय पर की गई यात्रा, चाहे की गई हो या नहीं से है,और इसमें यात्रा योजना को पूरा करने के लिए उपयोग किए जा रहे मोटर यान का प्रकार या वर्ग सम्मिलित हो सकता है; उन्नीस. "अनुज्ञप्ति" का तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा समूहक को जारी की गई अनुज्ञप्ति से है; बीस."अनुज्ञप्ति फीस" का तात्पर्य इस नियमावली के नियम 125च के अधीन संदेय फीस से है; इक्कीस. "वाणिज्यिक कार पूलिंग व्यवस्था"- का तात्पर्य समूहक प्लेटफॉर्म पर यान रजिस्ट्रीकरण संख्या के साथ समूहक द्वारा यथाविनिश्चय किये गये प्रस्थान बिन्दु और समय अनुसूची को उल्लिखित करते हुए ऑनबोर्ड की गई वाणिज्यिक मोटर कार का उपयोग करके की गई यात्रासे है; बाइस. "ऑन-बोर्ड" का अपने व्याकरणिक रूपों के साथ तात्पर्य समूहक द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चालकों और यानों को रजिस्ट्रीकृत करने की प्रक्रिया से है; तेईस. "ऑफ-बोर्ड" का व्याकरणिक रूपांतरों सहित तात्पर्य समूहक द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चालक और यान का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की प्रक्रिया से है; चौबीस. "यात्री" का तात्पर्य व्यक्ति से है, जो यात्रा करने के लिए समूहक के ऐप का उपयोग करता है; स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजन के लिए पद "यात्री" में वह व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जिसने राइड बुक की है और किसी अन्य व्यक्ति पर भी लागू होता है जिसके निमित्त से राइड बुक की गई है; पच्चीस. "रेटिंग" का तात्पर्य समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म पर सेवा प्रदाता के बारे में 1 से 5 (1 खराब और 5 उत्कृष्ट) के पैमाने पर यात्री/या उपभोक्ता की संतुष्टि के संबंध में दी गई उसकी प्रतिक्रिया से है; छब्बीस. "पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मूल्यांकन" का तात्पर्य समूहक के साथ

http://shasanadesh.up.gov.in

	एकीकृत चालकों के लिए न्यूनतम अड़तालीस (48) घंटे की अवधि के लिए और एक निरंतर सत्र में 10 घंटे की अवधि के लिए, व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल प्रशिक्षण सत्रों में दिये गये प्रशिक्षण सत्र से है; सत्ताईस. "सुरक्षा जमा राशि" का तात्पर्य नियम 125-छ के अधीन समूहक द्वारा बैंक गारंटी के रूप में प्रस्तुत अनुज्ञप्ति फीस सहित जमा की जाने वाली संदेय राशि से है; अठ्ठाइस. "आधार किराया" का तात्पर्य राज्य सरकार या राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित किराये की दर से है; उनतीस. "दिन" का तात्पर्य मध्य रात्रि 12:00 बजे से प्रारम्भ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि से है; तीस. "कार्यक्षेत्र" उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों सहित सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य होगा। (2) इस अध्याय में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और उसके तदधीन बनायी गयी केन्द्रीय नियमावली में क्रमशः उनके लिए समनुदेशित हैं।
नियमावली का लागू होना	125-ग (1) यह नियमावली किसी भी समूहक, वितरण सेवा प्रदाता और ई-कॉमर्स इकाई पर लागू होगी, जिन्होंने दो पहिया, तीन पहिया (ई-रिक्शा सहित) और चार पहिया यात्री यानों और बसों को ऑनबोर्ड किया है और वितरण सेवा प्रदाता के लिए जिन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य (उत्तर प्रदेश के एनसीआर जिलों सहित)के भीतर संचालन के लिए किसी भी श्रेणी के वितरण यानों को ऑनबोर्ड किया है: परन्तु यह कि समूहक/वितरण सेवा प्रदाता, यान का परमिट धारक और चालक सभी लागू परमिट शर्तों और सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग) के निदेश संख्या 94 या सीएक्यूएम या एनसीआर के लिए किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य अग्रतर निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। (2) यह नियमावली ऐसी इकाईयों पर लागू नहीं होगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अनुज्ञप्ति समूहकों के लिए एक अंतर-संचालनीय नेटवर्क प्रदान करने तक ही सीमित हैं और सीधे चालकों या मोटर यानों या दोनों को नियुक्त नही करती हैं। (3) यह नियमावली सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा के लिए टिकट बेचने के कारबार में लगी इकाईयों पर लागू नहीं होगी।
केंद्रीय सरकार द्वारा अभिहित पोर्टल	125-घ- अनुज्ञप्ति के लिए आवेदनों के सिंगल विंडो अनुमोदन हेतु पोर्टल, जिसमें विहित आवेदन फीस, अनुज्ञप्ति फीस और सुरक्षा जमा की रसीद सम्मिलित होगी: परन्तु यह कि उत्तर प्रदेश का परिवहन आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चलने वाले यानों के लिए पोर्टल पर पृथक उपबंध सहित, समूहक या वितरण सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म पर मौजूद यानों की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए एक राज्य पोर्टल

	विकसित करेगा।
अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया	125-ड़- कोई भी व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए नियम 125-च के अधीन विहित फीस के संदाय के प्रमाण के साथ अभिहित पोर्टल पर इस नियमावली के साथ संलग्न् प्रपत्र एस.आर. 51 में आवेदन कर सकता है। 1. उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर कार्यरत सभी विद्यमान समूहक और वितरण सेवा प्रदाता इस नियमावली की अधिसूचना के 90 दिनों की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त करेंगे। 2. सभी नए समूहक और वितरण सेवा प्रदाता उत्तर प्रदेश में अपना परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त करेंगे। 3. राज्य परिवहन प्राधिकरण, राज्य की संपूर्ण प्रादेशिक अधिकारिता में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा। 4. सक्षम प्राधिकारी उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन पर ऐसे आवेदन के दिनांक से 90 दिनों की अवधि के भीतर विनिश्चय करेगा। 5. यदि आवेदक इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाय, तो सक्षम प्राधिकारी समूहक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात, लिखित में कारणों को अभिलिखित करके ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। 6. यह समाधान होने पर कि आवेदक ने इस नियमावली के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का अनुपालन किया है, सक्षम प्राधिकारी आवेदक को नियम 125 छ में यथाविहित उचित अनुज्ञप्ति फीस और आवश्यक सुरक्षा जमा राशि का संदाय तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर करने का निदेश देगा। 7. अनुज्ञप्ति फीस के संदाय और सुरक्षा जमा राशि प्रस्तुत करने पर, सक्षम प्राधिकारी ऐसे संदाय के दिनांक से पन्द्रह (15) दिनों की अवधि के भीतर आवेदक को इस नियमावली में संलग्न प्रपत्र एसआर-52 में अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा। 8. इस नियमावली के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्तियों की सूची सक्षम प्राधिकारी द्वारा केन्द्र सरकार के अभिहित पोर्टल और राज्य सरकार के राज्य परिवहन पोर्टल पर अपलोड और अद्यतन की जाएगी।
अनुलिपि अनुज्ञप्ति जारी करना	125ड़-1 जब कोई अनुज्ञप्ति खो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो धारक तुरंत एफआईआर की एक प्रति के साथ उस परिवहन प्राधिकरण को तथ्य सूचित करेगा जिसके द्वारा अनुज्ञप्ति जारी किया गया था, और प्रपत्र एसआर 54 में आवेदन के साथ नियम 125च में विहित फीस जमा करेगा। 1. परिवहन प्राधिकरण, आवेदन प्राप्त होने पर, स्वयं संतुष्ट होने के बाद, अनुलिपि

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td>अनुज्ञप्ति जारी करेगा।
2.इस नियम के अधीन जारी किए गए अनुलिपि अनुज्ञप्ति पर लाल स्याही से स्पष्ट रूप से अनुलिपि अंकित किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>समूहक के लिए फीस</td><td>125-च—इस अध्याय के विभिन्न उपबंधों के अधीन संदेय फीस नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट अनुसार होगी:
सारणी–
<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>विवरण</th><th>धनराशि रु .में</th></tr>
<tr><td>1</td><td>आवेदन फीस</td><td>25,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>अनुज्ञप्ति प्रदान करना</td><td>5,00,000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>अनुज्ञप्तिनवीकरण के लिए आवेदन</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>अनुज्ञप्तिका नवीकरण</td><td>5,00,000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>अनुज्ञप्ति धारक के पते में परिवर्तन अभिलिखित करने के लिए आवेदन</td><td>25,000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>अनुलिपि अनुज्ञप्ति जारी करना</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>अपील</td><td>10,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>सुरक्षा जमा राशि</td><td>125-छ-
समूहक द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा जमा राशि निम्नलिखित होगी:
सारणी
<table>
<tr><th>क्र0सं0</th><th>विवरण</th><th>धनराशि (रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>100 बसें या 1,000 अन्य मोटर यान तक</td><td>10,00,000</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>1,000 बसें या 10,000 अन्य मोटर यान तक</td><td>25,00,000</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>1,000 से ज़्यादा बसें या 10,000 से ज़्यादा अन्य मोटर यान</td><td>50,00,000</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>अनुज्ञप्ति की वैधता, नवीकरणऔर उससे सम्बन्धित मामले</td><td>125-ज-
(1) अनुज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से पाँच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेगी।
(2) अनुज्ञप्ति को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम 125च में यथाविहित फीस और आवश्यक सुरक्षा जमा राशि के संदाय के साथ, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के 60 दिन पहले प्रपत्र एसआर-53 में आवेदन करने पर, अग्रतर पाँच वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।
(3) उपनियम 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट अंतिम दिनांक के बाद अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार कर सकता है,
एक. उपनियम 2 में विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्रति दिन देरी के लिए एक हजार (1,000) रुपये की शास्ति के साथ,
दो. अनुज्ञप्ति की समाप्ति के बाद प्रति दिन देरी के लिए दो हजार (2,000) रुपये</td></tr>
</table>

https://shasanadesh.up.gov.in

	की शास्ति के साथ, (4) ऐसे नवीकरण के प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित की जाँच करेगा: क) लागू नियमावली और विनियमावली के अनुपालन के समूहक के अभिलेख, ख) समूहक के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्यवाही, यदि कोई हो।
अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की पात्रता	125-झ- 1- आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी, या चालकों या मोटर यान स्वामियों के संघों द्वारा गठित और सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी समिति होगी। 2- आवेदक अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के साथ-साथ तदधीन जारी मध्यस्थ नियमों समेत परन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं होते हुए लागू विधियों का पालन करेगा। 3- आवेदक का उत्तर प्रदेश में कार्यालय होगा।
समूहक के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शर्तें	125ञ- अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा: 1. आवेदक सभी नियमों का पालन करेगा। 2. समूहक स्वयं या किसी प्राधिकृत तृतीय पक्ष को आउटसोर्स करके चालकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। 3. समूहक, नियोजित किए जाने वाले चालकों और इस नियमावली के लागू होने से पूर्व ही नियोजित चालकों के लिए भी नियम 125-ट के अधीन प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित या व्यवस्थित करेगा। 4. समूहक सेवाओं के प्रारंभ होने के बारे में सक्षम प्राधिकारी को लिखित सूचना देगा और अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के दिनांक से छह (6) महीने के भीतर उसे अद्यतन करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है। 5. सेवाओं के प्रारंभ होने से न्यूनतम बहत्तर (72) घंटे पहले, समूहक सक्षम प्राधिकारी को ईमेल या व्यक्तिगत रूप से सूचित करेगा और ऐसी सूचना सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिहित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 6. समूहक और ऑनबोर्ड किए गए चालक स्वास्थ्य या सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी नियम का पालन करेंगे। 7. समूहक यात्रियों के लिए पाँच लाख से अन्यून रुपये का बीमा कवरेज सुनिश्चित करेगा। 8. समूहक ऑनबोर्ड किए गए चालकों को कई समूहकों के साथ काम करने से

	निर्बंधित या प्रतिसिद्ध नहीं करेगा। 9. समूहक चालकों और यात्रियों दोनों के लिए यात्रा के समग्र अनुभव की गुणवत्ता का मूल्यांकन और रेटिंग करने के लिए ऐप के भीतर एक तंत्र विकसित करेगा। 10. समूहक यात्री यानों(यदि परमिट की आवश्यकता से छूट नहीं दी गई है) के मामले में विधिमान्य संविदा वहन परमिट रखने वाले और ऑनबोर्डिंग के इच्छुक मोटर यानों को इस नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अनुपालन के अध्यधीन ऑनबोर्डिंग की अनुज्ञा देगा। 11. समूहक की अनुज्ञप्ति पिछले एक वर्ष में रद्द नहीं की गयी होनी चाहिए। 12. समूहक या वितरण सेवा प्रदाता द्वारा एक शिकायत प्रतितोष अधिकारी सह अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो सक्षम प्राधिकारी और परिवहन विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ समूहक या वितरण सेवा प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम उत्तरदायी पद धारण करते हुए प्रत्यायोजित मुख्तारनामा के साथ समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के निमित्त आवश्यक प्राधिकार धारक आवेदक का पूर्णकालिक कर्मचारी होगा और परिवहन विभाग के लिए संविदा का एकमात्र बिंदु होगा और किसी भी यात्री या चालक की शिकायत के प्रतितोष के लिए उत्तरदायी होगा। शिकायत प्रतितोष अधिकारी का ब्यौरा, जिसमें उसका नाम, शैक्षिक योग्यता, ईमेल पता और टेलीफोन नंबर सम्मिलित है, समूहक द्वारा अपने ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। 13. समूहक अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के दिनांक से छह महीने के भीतर कारबार का संचालन शुरू करेगा, ऐसा करने में विफल रहने पर अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया जाएगा।
प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	125-ट- 1- जब कोई चालक किसी समूहक प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड का अनुरोध करता है, और यदि समूहक उस अनुरोध को स्वीकार कर लेता है, तो समूहक चालक से ऑनबोर्डिंग से पहले प्रेरण प्रशिक्षण के लिए कहेगा। 2- चालकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम चालीस (40) घंटे की अवधि का होगा, जिसमें व्यक्तिगत और वर्चुअल प्रशिक्षण सत्रों का संयोजन सम्मिलित होगा। इस कार्यक्रम का विस्तृत पाठ्यक्रम समूहक द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यक्रम चालकों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा:- क. समूहक के ऐप का उपयोग; ख. मोटर यान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर नियमावली, 1998 और अन्य संबंधित अधिनियमों एवं नियमावलियों के सुसंगत उपबंध; ग. मोटर यान (चालन) विनियमावली, 2017 के सुसंगत उपबंध; घ. सड़क दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन कार्यवाही और सहायता हेतु न्यूनतम छह घंटे का प्रथम प्रतिक्रिया प्रशिक्षण; ड़. सावधानीपूर्वक वाहन चलाने के तरीके, यातायात नियम, मोटर यान

	अनुरक्षण, ईंधन-कुशल वाहन चालन, आचरण और व्यवहार; च. मार्गों से परिचित होना; छ. चालक और समूहक के बीच करार का निबंधन; ज. लिंग संवेदीकरण, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति संवेदीकरण और गतिशीलता आवश्यकताओं पर विशेष प्रशिक्षण; झ. राज्य सरकार द्वारा यथाविहित अन्य प्रशिक्षण। 3- समूहक अभिहित पोर्टल पर प्रेरण प्रशिक्षण ढांचे का विवरण अपलोड करेगा।
	125-ठ: समूहक के साथ कार्यरत रहने की अवधि के संदर्भ में समान स्थिति वाले सभी चालकों में से जिन चालकों की रेटिंग पांच प्रतिशत से कम है, उन्हें अनिवार्य रूप से हर तिमाही में एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरना होगा, जिसके अभाव में चालक समूहक के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना जारी नहीं रख सकेंगे।
चालकों के संबंध में अनुपालन	125-ड- 1- चालकों को ऑनबोर्डिंग करने के प्रयोजन से, समूहक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:— क. ऑनबोर्डिंग से पूर्व, समूहक को चालक की स्पष्ट पहचान और पते का सत्यापन करने के प्रयोजन से यूआईडीएआई से अभिगम प्राप्त करके चालक के आधार कार्ड का अनिवार्य रूप से सत्यापन करना होगा। ख. चालक के पास ऑनबोर्डिंग अवधि के दौरान जिस प्रकार या श्रेणी के वाहन को ऑनबोर्ड किया जाना है, उसके लिए विधिमान्य ड्राइविंग अनुज्ञप्ति होना चाहिए। ग. चालक के पास न्यूनतम दो वर्ष का ड्राइविंग अनुभव होना चाहिए। घ. चालक के नाम पर एक विधिमान्य बैंक खाता होना चाहिए। ड.चालक को पिछले तीन (3)वर्षों के भीतर निम्नलिखित अपराधों में से किसी के लिए दोषी नहीं ठहराया गया होगा, अर्थात्:— (क) स्वापक औषधियों या एल्कोहल के प्रभाव में वाहन चलाने का अपराध; और (ख) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन कोई संज्ञेय अपराध, जहाँ लागू हो, कपट, यौन अपराध, संज्ञेय अपराध करने के लिए मोटर वाहन का उपयोग, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने या चोरी करने वाले अपराध, हिंसा के कृत्य, आतंकवाद के कृत्य,

http://shasanadesh.up.gov.in

	या जनता के लिए न्युसेंस या खतरा पैदा करने वाले कृत्य शामिल हैं। च. चालक को समूहक द्वारा निर्धारित अस्पताल या चिकित्सा संस्था में, स्वास्थ्य परीक्षा के लिए, दृष्टि परीक्षण सहित, एक चिकित्सा परीक्षा करवाना होगा। छ. समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि चालक का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन एक रजिस्ट्रीकृत मनोचिकित्सक द्वारा किया जाए ताकि ऑनबोर्डिंग के लिए उसकी उपयुक्तता का अवधारण किया जा सके। ज. ऑनबोर्डिंग से कम से कम सात (7) दिन पूर्व पुलिस द्वारा चालक के चरित्र और पूर्ववृत्त का सत्यापन किया जाएगा, और समूहक ऐसे सत्यापन का एक लिखित रिकॉर्ड रखेगा। झ. समूहक और चालक के बीच एक करार किया जाएगा, जिसमें राज्य की भाषा में वाहन में ऑनबोर्डिंग और चलाने के लिए लागू नियमों और शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा; और मानक निबंधनों व शर्तें समूहक द्वारा अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। परन्तु यह कि चालक के कार्य के घंटे मोटर वाहन अधिनियम, 1988, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 और श्रम कानूनों के उपबंधों के अनुसार होंगे। 2- परन्तु यह कि उपरोक्त शर्तों का अनुपालन समूहक द्वारा धारित अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता अवधि के दौरान जारी रहेगा।
चालकों के कल्याण के लिए उपबंध	125-ढ़- 1- चालकों के कल्याण के लिए, समूहक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:- (क) प्रत्येक चालक के लिए कम से कम पाँच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। (ख) प्रत्येक चालक के लिए कम से कम दस लाख रुपये का टर्म इंश्योरेंस दुर्घटना बीमा कवर सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा यथाअधिसूचित वार्षिक वेतन वृद्धि होगी। (ग) परंतु यह कि सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अधीन किए गए उपबंधों के अधिसूचित और प्रवृत्त होने पर, उप-खंड (क) और (ख) तदनुसार लागू होंगे। (घ) वैयक्तिक रूप से और आभासी प्रशिक्षण सत्रों के संयोजन के रूप में वार्षिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आंतरिक संसाधनों के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के सहयोग से आयोजित किए जाएंगे, और ऐसे प्रशिक्षण का रिकॉर्ड रखा जाएगा। परंतु यह कि समूहक के साथ वचनबंध की अवधि के संदर्भ में समान स्थिति वाले सभी चालकों में से जिन चालकों की रेटिंग पांच प्रतिशत से कम हो, उन्हें अनिवार्यत: रूप से हर तिमाही में एक पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होना होगा, जिसके अभाव में चालक, समूहक के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना जारी

http://jhasandesh.up.gov.in

	नहीं रख सकेगा। 2- यदि किसी यात्री द्वारा चालक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों या ऐसे मार्गदर्शनों के उपबंधों के अतिक्रमण की शिकायत दर्ज की जाती है, तो समूहक द्वारा नियुक्त शिकायत प्रतितोषण अधिकारी शिकायत की तिथि से तीन (3) दिनों के भीतर जांच करेगा और ऐसी जांच पूरी होने पर ही चालक के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। समूहक द्वारा शिकायत प्रतितोषण अधिकारी के माध्यम से यात्री और नोडल अधिकारी को ऐसी जांच के परिणाम से सूचित किया जायेगा। 3- चालक के कार्य के घंटे मोटर वाहन अधिनियम, 1988, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1998 और श्रम कानूनों के उपबंधों के अनुसार होंगे।
दस्तावेजों का रख-रखाव	125-ण- समूहक, सारथी पोर्टल से सम्यक रूप से प्रमाणित ऑन-बोर्ड चालकों से संबंधित दस्तावेजों और समूहक द्वारा समुचित समझे जाने वाले अन्य दस्तावेजों का डिजिटल रिकॉर्ड रखेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- (क) एक फोटोग्राफ; (ख) मूल ड्राइविंग अनुज्ञप्ति; (ग) आधार कार्ड; (घ) बैंक खाते का सत्यापित विवरण; (ङ) दो आपातकालीन संपर्कों के नाम, पते और संपर्क नंबर।
परमिट	नियम 125-त- समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि सभी परिवहन मोटर वाहनों के पास, यदि परमिट से छूट प्राप्त नहीं है, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित विधिमान्य परमिट हों।
यानों के संबंध में अनुपालन	नियम 125-थ- 1- समूहक यह सुनिश्चित करेगा कि ऑन बोर्डेड चालकों से संबंधित मोटर वाहन निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हैं:- (क) परिवहन वाहन के रूप में विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण; (ख) अधिनियम के अधीन अपेक्षित विधिमान्य प्रमाणपत्र; (ग) सीएमवीआर के अधीन विहित रजिस्ट्रीकरण चिह्न का प्रदर्शन; (घ) यात्री बीमा के साथ विधिमान्य तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी, जो वाहन में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री के लिए कवरेज सुनिश्चित करती है; (ङ) केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अधीन अपेक्षित विधिमान्य प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र; (च) राज्य सरकार द्वारा राज्य या उसके किसी शहरी क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट उत्सर्जन सन्नियमों का अनुपालन, जैसा भी मामला हो; (छ) नगर विनिर्दिष्ट ईंधन सन्नियमों का अनुपालन; (ज) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निदेश संख्या 94 के अनुसार, एनसीआर में वाहन प्रदूषण में कमी लाने और क्लीनर गतिशीलता की ओर तेज़ी से संक्रमण लाने के लिए,

http://shasanadesh.up.gov.in

(क) एनसीआर में यानों के विद्यमान फ्लीट में केवल सीएनजी/इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर ऑटोरिक्शा को ही अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

(ख) एनसीआर में 01.01.2026 से चार पहिया एलसीवी, चार पहिया एलजीवी (एन1 श्रेणी 3.5 टन तक) और दो पहिया के विद्यमान फ्लीट में पूरी तरह से डीजल या पेट्रोल पर चलने वाले किसी भी पारंपरिक आईसीई यान को शामिल नहीं किया जाएगा;

(ञ) सीएक्यूएम या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी का कोई भी अग्रतर निदेश लागू होगा।

(ट) लागू मोटर यान कर और अन्य देय का संदाय भुगतान;

(ठ) मोटर यान के संबंध में अधिनियम के अधीन अपराधों और अतिक्रमणों से संबंधित सभी लंबित चालानों का समाशोधन;

(ड) यान के अंदर (मोटरसाइकिलों को अपवर्जित कर) चालक के अनुज्ञप्ति और मोटर यान परमिट (यदि लागू हो) की प्रतियों को प्रदर्शित करना, चालक के बगल वाली आगे की यात्री सीट के पीछे चिपकाना, ताकि यान में बैठे यात्रियों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे;

(ढ) सीएमवीआर के नियम 125-ज के अधीन अनिवार्य रूप से पैनिक बटन सहित एआईएस-140 के अनुरूप कार्यात्मक यान स्थान ट्रैकिंग उपकरण या प्रणाली का संस्थापन, जो समूहक के नियंत्रण कक्ष से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जुड़ा हो और राज्य सरकार के कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के साथ एकीकृत हो;

(ण) लागू विधि के अनुसार चाइल्ड-लॉक क्रियाविधि को अक्षम करना (तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और बसों को अपवर्जित कर);

(त) लागू कानून के अनुसार केंद्रीय लॉकिंग प्रणाली के लिए मैनुअल ओवरराइड को सक्रिय करना (तिपहिया वाहन, मोटरसाइकिल और बसों को अपवर्जित कर);

(थ) मोटर यान के अंदर पर्याप्त क्षमता वाले अग्निशामक यंत्र का उपबंध (मोटरसाइकिल को अपवर्जित कर);

(द) मोटर यान के अंदर प्राथमिक उपचार किट का उपबंध;

(ध) कानून के अनुसार यान में कार्यात्मक गति नियंत्रक लगाया जाना;

2- समूहक बारह वर्ष से अधिक पुराने यानों को ऑनबोर्ड में नहीं लगाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा यान में लगाए गए सभी यान बारह वर्ष से अधिक पुराने न हों। परंतु यह कि नगर/क्षेत्र के ईंधन मानदंड, तथा विभिन्न नगरों/क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रवर्गों के यानों के लिए आयु से संबंधित विहित परमिट शर्त (यदि बारह वर्ष से अनधिक हो) लागू होगी;

3- समूहक अपने द्वारा संचालित सभी मोटर यानों के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों का सत्यापन और अभिलेख रखेगा, तथा वाहन पोर्टल पर ऐसे आंकड़ों को वास्तविक समय के आधार पर प्रमाणित करेगा:—

(एक) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(दो) अधिनियम के अधीन फिटनेस प्रमाणपत्र;

(तीन) चेसिस और इंजन नंबर;

(चार) तृतीय-पक्ष बीमा पॉलिसी (यात्री के लिए पाँच लाख रुपये के बीमा कवर के

http://shasanadesh.up.gov.in

	साथ); (पांच) प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र; और (छ:) ऑनबोर्डिंग से पहले लंबित ई-चालान का ब्यौरा और उसके निपटान का प्रमाण।
वेबसाइट, ऐप और प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुपालन	125-द 1) समूहक अपनी वेबसाइट, ऐप और प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात् 2) समूहक अपने स्वामित्व, रजिस्ट्रीकृत पता, किराया संरचना, ग्राहक सेवाओं के लिए संपर्क ब्यौरा, ईमेल पता, प्रदान की जाने वाली सेवाओं और अन्य प्रासंगिक विवरणों को प्रदर्शित करने वाली एक वेबसाइट विकसित और अनुरक्षित करेगा। 3) ऐप को लागू विधियों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। 4) समूहक के ऐप की भेद्यता और साइबर सुरक्षा को सर्ट-इन द्वारा मान्यता प्राप्त और सूचीबद्ध साइबर सुरक्षा फर्म द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। 5) यात्रा ब्यौरा, यात्री ब्यौरा और किराए सहित, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं, डेटा समूहक के ऐप पर उत्पन्न किया जाएगा और डेटा उत्पादन की तिथि से न्यूनतम 3 महीने और अधिकतम 12 महीने तक संग्रहीत किया जाएगा। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 सहित विधि की सम्यक प्रक्रिया के अनुसार डेटा उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। 6) चालक के किराए के हिस्से का अनुपात, प्रोत्साहन राशि, चालक के हिस्से और विभाजित किराए का विवरण, और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी अन्य जानकारी, समूहक द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप पर अपडेट करके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। 7) ऐप में एक ऐसी सुविधा शामिल होगी जिससे यात्री यात्रा पूरी होने तक अपनी लाइव लोकेशन और यात्रा की स्थिति साझा कर सकेंगे, जिसके बाद लाइव लोकेशन साझा करने की सुविधा समाप्त हो जाएगी। 8) परिवहन कार पूलिंग के प्रयोजन से, यान के रजिस्ट्रीकरण नंबर के साथ विनिर्दिष्ट आरम्भिक स्थान और गंतव्य की खोज करने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी और पुरुष सह-यात्री के मामले में महिला यात्री की सहमति लेने का विकल्प भी दिया जाएगा। 9) ऐप में विशेष सुविधाएँ शामिल होंगी जो इसे नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाएंगी। 10) समूहक ऐप पर ऑनबोर्ड चालक की एक स्पष्ट, उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीर प्रदर्शित करेगा। 11) समूहक ड्यूटी के दौरान ऑनबोर्ड चालकों द्वारा मादक पदार्थों या शराब के उपयोग के खिलाफ सख्त शून्य-सहिष्णुता नीति तैयार और लागू करेगा। समूहक इस संबंध में अपनी नीति और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया अपनी वेबसाइट और ऐप पर अपलोड करेगा। ऐसी शून्य-सहिष्णुता नीति के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली शिकायत प्राप्त होने पर, समूहक जाँच लंबित रहने तक चालक को

http://shasanadesh.up.gov.in

	तुरंत ड्यूटी से ऑफबोर्ड कर देगा, और जाँच अवधि के दौरान चालक का निलंबन जारी रहेगा। 12) यात्रा कराने वाले चालक की संपर्क जानकारी यात्रा पूरी होने से न्यूनतम सात (7) दिनों तक ऐप के माध्यम से यात्री के लिए उपलब्ध रहेगी। 13) समूहक एक 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा और सभी ऑन-बोर्ड मोटर यानों की नियंत्रण कक्ष से निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा, जो मोटर यानों और उनमें चालकों की गतिविधियों की निगरानी करेगा। 14) समूहक अपने ऐप, वेबसाइट का राज्य परिवहन पोर्टल से एकीकरण सुनिश्चित करेगा। 15) समूहक एक सक्रिय टेलीफोन नंबर और ईमेल पते के साथ एक कॉल सेंटर स्थापित करेगा, जो उसकी वेबसाइट और ऐप पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा, जो 24x7 कार्य करेगा और अंग्रेजी के साथ-साथ राज्य की शासकीय भाषा में सहायता प्रदान करेगा। ऐसा कॉल सेंटर निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा- (एक) यात्रियों, चालकों या किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा या ऑन-बोर्ड चालक से संबंधित मुद्दों के बारे में कॉल सेंटर से संपर्क करने में सक्षम बनाना; और (दो) यात्रियों की शिकायतों का प्रतितोष सुनिश्चित करना। समूहक स्वयं द्वारा नियुक्त मोटर यानों या ऑनबोर्ड चालकों से संबंधित दुर्घटनाओं या घटनाओं की जांच करने वाले सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा। 16) समूहक अपने एप्लीकेशन में यात्रियों के द्वारा चालक को स्वैच्छिक टिप देने की सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी व्यवस्था बनायेगा जो एप्लीकेशन पर यात्रा की समाप्ति के पश्चात् ही प्रदर्शित होगा तथा यह पूरी धनराशि चालक के खाते में बिना किसी कटौती के अंतरित होगी। ऐसी सुविधा की व्यवस्था उपभोग्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 व उसके तदधीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अनुपालन में होगी। 17) समूहक द्वारा विकसित एप्लीकेशन में यात्रियो को अपने ही समान लिंग के चालक (यदि समूहक के प्लेटफार्म पर महिला व पुरुष दोनों लिंग के चालक आनबोर्ड हो) को चयन करने की सुविधा प्रदान करेगा।
यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन	125-ध 1- समूहक यात्री सुरक्षा से संबंधित निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:— (क) उत्तर प्रदेश राज्य की नीति के अनुसार, सभी मोटर यानों में स्थापित यान अवस्थिति ट्रैकिंग उपकरण (वीएलटीडी) क्रियाशील रहेंगे, डाटा संचारित करेंगे और राज्य सरकार के एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र के साथ एकीकृत होंगे। स्पष्टीकरण: इन मार्गदर्शी सिद्धांतों के प्रयोजनों के लिए, स्थान ट्रैकिंग में मोटरसाइकिल और तिपहिया सहित सभी मोटर यानों के लिए इन-ऐप स्थान ट्रैकिंग शामिल होगी। (ख) चालक ऐप में प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करेगा, और विचलन की स्थिति में,

	ऐप नियंत्रण कक्ष को अलर्ट भेजेगा, जो तुरंत चालक और यात्री से संपर्क करेगा। (ग) यात्री सुरक्षा, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्तियों की, लागू विधियों के अनुपालन में सुनिश्चित की जाएगी। (घ) ऐप में यह सत्यापित करने का तंत्र होगा कि यात्रा करने वाले चालक की पहचान वही है जो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान पुलिस द्वारा सत्यापित की गई थी। (ड.) समूहक के प्राधिकृत कार्मिकों द्वारा ऑनबोर्ड मोटर वाहनों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। च) महिला यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ महिला चालक का विकल्प (जहां समूहक के प्लेटफार्म पर महिला चालक आनबोर्ड हो) चयन करने की सुविधा समूहक द्वारा विकसित एप में विनिर्दिष्ट फीचर के माध्यम से उपलब्ध होगी।
समूहक द्वारा गैर-भेदभाव नीति	नियम 125-न समूहक, तृतीय पक्षों के स्वामित्व वाले मोटर यानों, जो ऑनबोर्ड चालक प्रदान करते हैं, को अपने स्वामित्व वाले मोटर यानों के समान मानेगा।
किराये का विनियमन	नियम 125-प 1) राज्य सरकार द्वारा मोटर यानों की संबंधित श्रेणी या वर्ग के लिए अधिसूचित आधार किराया, समूहक के माध्यम से सेवाएँ प्राप्त करने वाले यात्रियों से लिया जाने वाला आधार किराया होगा। 2) बिना यात्री के तय की गई दूरी और यात्री(यात्रियों) को लेने के लिए तय की गई दूरी और उपयोग किए गए ईंधन सहित डेड माइलेज की प्रतिपूर्ति के लिए, न्यूनतम तीन (3) किलोमीटर के लिए आधार किराया लिया जाएगा। 3) समूहक, आधार किराए के न्यूनतम पचास प्रतिशत (50%) और अधिकतम डेढ़ गुना (150%) के अधीन, गतिशील मूल्य निर्धारण लागू कर सकता है। 4) परिवहन कार पूलिंग के मामले में, समूहक को देय किराया उपरोक्त (1), (2) और (3) में दिए गए प्रावधान के अनुसार यात्रियों के बीच विभाजित किया जाएगा। 5) समूहक के साथ अपने स्वयं के मोटर यान का उपयोग करने वाले चालक को दैनिक आधार पर चालक के किराए के हिस्से के अधीन समस्त लागतों सहित लागू किराए का कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%) प्राप्त होगा, और शेष भाग समूहक द्वारा प्रभाजित किराए के रूप में रखा जा सकता है। 6) समूहक के स्वामित्व वाले मोटर यानों के संबंध में, ऑनबोर्ड चालक को लागू किराए का साठ प्रतिशत (60%) से अनिम्न प्राप्त होगा, जिसमें चालक के किराए के हिस्से के अधीन सभी लागतें सम्मिलित हैं, और शेष राशि समूहक द्वारा प्रभाजित किराए के रूप में रखी जाएगी। 7) किसी भी यात्री से डेड माइलेज के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां पिक-अप दूरी उप-नियम (2) के अधीन प्रदान की गई तीन (3) किलोमीटर से कम है; किराया केवल यात्रा के प्रारंभ बिंदु से यात्री के ड्रॉप-ऑफ

http://shasnadesh.up.gov.in

	बिंदु तक लिया जाएगा।
यात्रा रद्द करना	नियम 125फ- 1- जहां कोई चालक समूहक द्वारा अपनी वेबसाइट और ऐप पर विनिर्दिष्ट वैध कारणों के बिना ऐप पर बुकिंग स्वीकार करने के बाद उसे रद्द करता है, तो कुल किराए का दस प्रतिशत (10%) शास्ति, अधिकतम ₹100 के अध्यधीन, चालक पर अधिरोपित किया जाएगा और समूहक द्वारा वसूला जाएगा, और अगली बुकिंग के किराए में यात्री को समतुल्य रियायत दी जाएगी। 2- जहां यान की अपेक्षित रिपोर्टिंग समय के पश्चात 10 मिनट के भीतर यान की रिपोर्ट न करने के कारण राइडर द्वारा राइड रद्द की जाती है, या जहां चालक ने आगमन के अपेक्षित नियत समय से 10 मिनट के भीतर रिपोर्ट नहीं किया है, ऐसे रद्दीकरण को चालक द्वारा राइड रद्द करना समझा जाएगा। ऐसे मामले में, चालक पर एक सौ रुपये की शास्ति उदगृहीत की जाएगी, और उक्त रकम चालक पर अधिरोपित की जाएगी और समूहक द्वारा वसूल की जाएगी, और अगली बुकिंग के किराए में यात्री को समतुल्य रियायत दी जाएगी। 3- जहॉ कोई यात्री ऐप पर बुकिंग करने के बाद उसे रद्द करता है, तो किराये का दस प्रतिशत(10%) शास्ति, अधिकतम ₹100 के अध्यधीन यात्री पर अधिरोपित की जायेगी और अगली बुकिंग के किराये के साथ वसूली जाएगी, परन्तु ऐसा रद्दीकरण समूहक की वेबसाइट और ऐप पर विशेष रूप से उल्लिखित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता हो। इस प्रकार वसूली गई रकम को इस नियमावली के नियम 125-प के अधीन विनिर्दिष्ट अनुपात में चालक और समूहक के बीच साझा किया जाएगा।
शास्ति	नियम 125-ब- कोई भी समूहक या वितरण सेवा प्रदाता, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 या इस नियम के अधीन कोई अतिक्रमण या गैर-अनुपालन करता है- 1. यह नियम अधिनियम के अध्याय पांच के अधीन बनाया गया है, यह उपबंध समूहक या वितरण सेवा प्रदाता पर लागू होगा। यह नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन प्रदान किए गए अनुपालन और दंड के अतिरिक्त लागू और प्रवर्तनीय होगा और अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के साथ पढ़ा जाएगा। 2. मोटर यान अधिनियम, 1988 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अधिनियम के अधीन उल्लंघन या गैर-अनुपालन के लिए और अथवा समूहक और वितरण सेवा प्रदाता नियम, 2026 के अधीन निम्नलिखित परिस्थितियों में शास्ति लगायी जाएगी - एक. यदि सक्षम प्राधिकारी की राय है कि जो कोई समूहक या वितरण सेवा प्रदाता के रूप में सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है और बिना अनुज्ञप्ति के काम कर रहा है या जिसकी अनुज्ञप्ति समाप्त/निलंबित/प्रतिसंहृत कर दिया गया है, तो सक्षम प्राधिकारी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के उपबंधों के अनुसार उचित शास्ति अधिरोपित करने के लिए स्वतंत्र होगा, एक

<table>
<tr><td></td><td>लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा, लेकिन पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा।</td></tr>
<tr><td>समूहक द्वारा सतत फ्लीट प्रबंधन</td><td>नियम 125-भ-
समूहक अपने फ्लीट में इलेक्ट्रिक, वैकल्पिक ईंधन या शून्य-उत्सर्जन यानों के अनुपात में प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत (5%) की उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा।</td></tr>
<tr><td>इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर संक्रमण</td><td>125-म-
1- समूहक और वितरण सेवा प्रदाता को अपने फ्लीट में इलेक्ट्रिक वाहनों को सम्मिलित करने के लिए सीएक्यूएम निदेश संख्या 94 द्वारा यथा अवधारित और सीएक्यूएम या एनसीआर के लिए किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए अतिरिक्त निदेश के अनुसार विहित लक्ष्यों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
2- शेष राज्य के लिए यात्री और माल यानों के फ्लीट में ईवी को अपनाने का लक्ष्य निम्नानुसार होगा-
<table>
<tr><td rowspan="2">टाइम लाइन</td><td colspan="2">यात्री ईवी को अपनाने का लक्ष्य</td><td colspan="2">माल ईवी को अपनाने का लक्ष्य</td></tr>
<tr><td>दोपहिया और तिपहिया</td><td>चौपहिया</td><td>दोपहिया और तिपहिया</td><td>चौपहिया</td></tr>
<tr><td>इस नियम की अधिसूचना की तिथि से पहले छह मास के भीतर</td><td>10%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>1%</td></tr>
<tr><td>इस नियम की अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर</td><td>15%</td><td>2%</td><td>4%</td><td>2%</td></tr>
<tr><td>इस नियम की अधिसूचना की तिथि से दो वर्षों के भीतर</td><td>20%</td><td>4%</td><td>8%</td><td>4%</td></tr>
<tr><td>इस नियम की अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के भीतर</td><td>25%</td><td>7%</td><td>15%</td><td>7%</td></tr>
<tr><td>इस नियम की अधिसूचना की तिथि से चार वर्षों के भीतर</td><td>35%</td><td>10%</td><td>20%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>इस नियम की अधिसूचना की तिथि से पाँच वर्षों के भीतर</td><td>50%</td><td>15%</td><td>30%</td><td>15%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

समूहकों द्वारा परिवहन/गैर परिवहन मोटर साइकिलों का संकलन	125-कक- 1- यातायात की भीड़-भाड़ और वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए, तथा वहनीय यात्री गतिशीलता प्रदान करने के उद्देश्य से, समूहकों के माध्यम से अधिक स्थानीय वितरण के लिए परिवहन मोटरसाइकिलों और परिवहन/गैर-परिवहन मोटरसाइकिलों के एकत्रीकरण की अनुज्ञा दी जाएगी। 2- इस खंड के अधीन समूहक द्वारा चालकों की ऑनबोर्डिंग इन नियमों के अधीन विहित मानकों के अनुरूप होगी।
समूहक के अनुज्ञप्ति का निलम्बन	125-कख- 1- किसी समूहक को दी गई अनुज्ञप्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित आदेश ("निलंबन आदेश") द्वारा, या तो स्वप्रेरणा से अथवा समूहक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जाँच के बाद निलंबित किया जा सकता है। निलंबन तीन (3) मास की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। 2- निलंबन आदेश ऐसी शिकायत प्राप्त होने या कार्यवाही शुरू होने के दस (10) दिनों के भीतर समूहक को सुनवाई का अवसर देने के बाद पारित किया जाएगा। 3- अन्य के साथ-साथ, निम्नलिखित आधारों को अनुज्ञप्ति के निलंबन के आधार के रूप में माना जाएगा: (क) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित त्रैमासिक रेटिंग मापदंडों के तर्कसंगत विश्लेषण के माध्यम से निर्धारित यात्री या चालक सुरक्षा सुनिश्चित करने में समूहक की विफलता; (ख) यात्रियों से लिए जाने वाले किराए के संबंध में बार-बार उल्लंघन, जिसमें अनुचित गतिशील किराए लगाना, चालकों और समूहक के बीच आनुपातिक किराया साझा करने से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन न करना, या चालकों पर अन्यायपूर्ण प्रभार लगाना सम्मिलित है; (ग) चालकों के साथ संविदात्मक दायित्वों का अनुपालन करने में समूहक की असफलता; (घ) समूहक द्वारा इन नियमों का अनुपालन न करना; (ङ) यात्रियों की सुरक्षा या चालकों के हितों को खतरे में डालना; (च) समूहक द्वारा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन जिसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाएँ हुईं; (छ) समूहक के खातों की लेखापरीक्षा के माध्यम से गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चलना; और (ज) कोई अन्य मापदंड जिसे सक्षम प्राधिकारी उचित और उपयुक्त समझे। 4- परंतु यह कि जहाँ सक्षम प्राधिकारी की राय हो कि अनुज्ञप्ति का निलंबन साध्य या वांछनीय नहीं है, वह कथित उल्लंघन की महत्ता और परिमाण के आधार पर समूहक पर न्यूनतम ₹1,00,000 से अधिकतम ₹1,00,00,000 तक का मौद्रिक शास्ति अधिरोपित कर सकता है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	5- अनुज्ञप्ति के निलंबन पर, समूहक अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त प्रचालन तुरंत बंद कर देगा जब तक कि निलंबन रद्द नहीं कर दिया जाता या निलंबन अवधि समाप्त नहीं हो जाती। 6- निलंबन अवधि की समाप्ति से पूर्व, समूहक को एक लिखित वचनबंध प्रस्तुत करना होगा कि निलंबन आदेश में विनिर्दिष्ट निलंबन के आधारों को सुधार लिया गया है। 7- इसके बाद सक्षम प्राधिकारी उपक्रम के निलंबन और स्वीकृति के आधारों के अनुपालन को स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित करेगा। 8- इसके बाद समूहक कम से कम दो (2) मास की और छह मास तक बढ़ाई जा सकने वाली परिवीक्षा अवधि के लिए परिचालन पुनः आरंभ करेगा, जिसके दौरान वह इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। इस अवधि के दौरान निलंबन का कारण बनने वाला कोई भी उल्लंघन नियम 125-कङ के अधीन अनुज्ञप्ति को सीधे रद्द कर सकता है।
समूहक की अनुज्ञप्ति को रद्द करना और उसे अभ्यर्पित करना	125-कग 1- सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर सकता है (क)- समूहक की अनुज्ञप्ति एक वित्तीय वर्ष में तीन बार निलंबित किया गया हो और निलंबन योग्य एक और उल्लंघन करता है; अथवा (ख) समूहक ने ऐसे गंभीर प्रकृति के उल्लंघन किए हों या करवाए हों जिससे यात्रियों या चालकों की सुरक्षा खतरे में हो,— 2- सक्षम प्राधिकारी समूहक को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा जिसमें यह स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी कि उसकी अनुज्ञप्ति क्यों न रद्द किया जाए। 3- सक्षम प्राधिकारी कारण बताओ नोटिस जारी करने के दस (10) दिनों के भीतर समूहक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और उसके बाद अनुज्ञप्ति रद्द करने या अन्यथा एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा, और ऐसे रद्दीकरण को अन्य राज्यों और केंद्रीय सरकार के ध्यान में लाएगा। 4- जहां अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है, समूहक अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त प्रचालन तुरंत बंद कर देगा। 5- रद्दीकरण आदेश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। 6- समूहक किसी भी समय स्वेच्छा से अपनी अनुज्ञप्ति अभ्यर्पित कर सकता है, और ऐसे अभ्यर्पण पर, बकाया राशि, यदि कोई हो, की कटौती के बाद सुरक्षा जमा राशि समूहक को वापस कर दी जाएगी।
अपील	125-कघ- 1- सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित निलंबन या रद्दीकरण के आदेश से व्यथित कोई समूहक, ऐसे आदेश की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के भीतर, प्रमुख सचिव, परिवहन, या उनके द्वारा अधिसूचित किसी अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील

	कर सकेगा। 2- अपील एक ज्ञापन के रूप में होगी जिसमें अपील के आधार स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे, जिसके साथ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विहित अपील फीस और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की एक प्रति संलग्न होगी। 3- अपीलीय प्राधिकारी समूहक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और अपील दायर करने की दिनांक से साठ (60) दिनों के भीतर अपील पर निर्णय देगा। 4- अपील पर निर्णय करते समय, अपीलीय प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे।
राज्य सरकार की शक्तियाँ	125-कङ- 1- परिवहन आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा समूहक से ऐसी सूचना, दस्तावेज या अभिलेख मांगने की शक्ति होगी, जिन्हें वह इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसी शक्ति में समूहक के विरुद्ध शिकायतों की जांच करने की शक्ति भी सम्मिलित होगी। 2- उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी समूहक को वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से यानों, चालकों और यान मालिकों के ब्यौरे को प्रमाणित करने में सक्षम बनाएगा। 3- परिवहन आयुक्त या सक्षम प्राधिकारी समय-समय पर इन नियमों के उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक परामर्श, निर्देश या आदेश जारी कर सकते हैं। 4- प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्राप्त समूहक सक्षम प्राधिकारी को ऐसी वार्षिक या आवधिक रिपोर्ट, जैसी अपेक्षित हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ऐसे प्रारूप में, जैसा कि विहित किया जाये और सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जा सकता है, प्रस्तुत करेगा।
द्वितीय अनुसूची का संशोधन	125-कच- द्वितीय अनुसूची में, प्रारूप एसआर-50 के पश्चात, संलग्न नए प्रारूप- एस.आर.-51, एस.आर.-52, एस.आर.-53 एवं एस.आर.-54, बढ़ा दिये जाएंगे

अर्चना अग्रवाल
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एस0आर0-51

[देखे नियम-125 ड.(1)]

उत्तर प्रदेश मोटरयान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के अधीन समूहक/वितरण सेवा प्रदाता को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन

सेवा में,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मैं एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के उपबंधों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में समूहक /वितरण सेवा प्रदाता के रूप में प्रचालन करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदन करता/करती हूँ।

1.	पूरा नाम	
2.	उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हो	
4.	(क) यदि पंजीकृत कंपनी है तो संगम ज्ञापन की एक प्रति के साथ निगमन प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। (ख) यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम व पता	
6.	सम्पर्क विवरण 1- टेलीफोन/मोबाइल 2- वेबसाइट 3- ई-मेल	
7.	प्रचालित किये जाने वाले प्रस्तावित यानों की संख्या (प्रत्येक यान के पंजीकरण संख्या तथा परमिट ब्यौरा, जैसा लागू हो, सहित एक पृथक सूची संलग्न करें)	
8.	जीपीएस/जीपीआरएस सुविधा का ब्यौरा	
9.	अन्य अवसंरचना का ब्यौरा	
10.	उन सर्वरों के स्थान का ब्यौरा जहां डेटा संग्रहीत करने का प्रस्ताव है।	
11.	पिछले तीन वितीय वर्षों में दाखिल रिटर्न का ब्यौरा। (पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें)	

http://shasanadesh.up.gov.in

12.	भुगतान किये गए आवेदन फीस का ब्यौरा (नियम 125 च के अनुसार)	रू..

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न दस्तावेज मेरी जानकारी के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे प्रदान किया गया अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है और मेरे विरुद्ध अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

मैने उत्तर प्रदेश मोटरयान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के उपबंधों को पढ़ लिया है और मैं उक्त उपबंधों और उसमें निर्दिष्ट लागू विधियों और नियमों को स्वीकार करता हूॅं/करती हूॅं और उनका अनुपालन करने के लिए सहमत हूॅं।

स्थानः

तारीखः

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-एस0आर0-52

[देखे नियम-125 ड.(6)]

उत्तर प्रदेश मोटर यान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के अधीन समूहक/वितरण सेवा प्रदाता के लिए अनुज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश मोटर यान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के अधीन अभिकथित उपबंधों के अनुपालन में, मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन समूहक/वितरण सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है।

1.	समूहक का पूरा नाम	
2.	उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हों	
4.	सम्पर्क विवरण 1- टेलीफोन/मोबाइल 2- वेबसाइट 3- ई-मेल	
5.	बसों/अन्य मोटर यानों की संख्या (एस आर 51 में समूहक द्वारा संलग्न सूची के अनुसार, जैसा लागू हो)	
6.	समूहक किस प्रकार प्रचालित होगा इसका ब्यौरा	
7.	संदाय किये गए आवेदन फीस का ब्यौरा (नियम 125 च के अनुसार)	
8.	प्रतिभूति जमा का ब्यौरा (नियम 125 छ के अनुसार)	

अनुज्ञप्ति धारी को उत्तर प्रदेश मोटरयान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 में अंतर्विष्ट समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।

स्थानः

तारीखः

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रपत्र-एस0आर0-53

[देखे नियम-125 ज]

उत्तर प्रदेश मोटर यान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के अधीन समूहक/वितरण सेवा प्रदाता की अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन

सेवा में,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मैं एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में समूहक/वितरण सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु आवेदन करता/करती हूँ।

1.	पूरा नाम	
2.	उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कार्यालय का पता	
3.	शाखा कार्यालयों की संख्या और उनके पते, यदि कोई हो तो	
4.	(क) यदि पंजीकृत कंपनी है तो संगठन के ज्ञापन की एक प्रति के साथ निगमन/पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें। (ख) यदि फर्म है तो फर्म के पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें।	
5.	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम और पता	
6.	सम्पर्क विवरण 1- टेलीफोन/मोबाइल नंबर 2- वेबसाइट 3- ई-मेल	
7.	प्रचालित किये जाने वाले यानों की प्रस्तावित संख्या। (प्रत्येक यान के पंजीकरण संख्या और परमिट ब्यौरा सहित एक पृथक सूची संलग्न करें)	
8.	जीपीएस/जीपीआरएस सुविधा का ब्यौरा	
9.	अन्य अवसंरचना का ब्यौरा	
10.	उन सर्वरों के स्थान का ब्यौरा जहां डेटा संग्रहीत करने का प्रस्ताव है	
11.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दाखिल रिटर्न का ब्यौरा। (पिछले तीन वर्षों के वित्तीय विवरणों की प्रतियां संलग्न करें)	

http://shasanadesh.up.gov.in

12.	अनुज्ञप्ति का ब्यौरा: (क) अनुज्ञप्ति संख्या (ख) निलंबन का ब्यौरा, यदि कोई हो।	
13.	संदाय की गई फीस का ब्यौरा	रु.
14.	प्रतिभूति जमा का ब्यौरा	

घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी और इसके साथ संलग्न दस्तावेज़ मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि यदि किसी भी समय कोई जानकारी गलत पाई जाती है, तो मुझे प्रदान की गयी अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और मेरे विरुद्ध अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

मैंने उत्तर प्रदेश मोटर यान समूहक एवं वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के उपबंधों को पढ़ लिया है और मैं उक्त उपबंधों और उसमें निर्दिष्ट लागू विधियों और नियमों का पालन करने के लिए स्वीकार करता/करती हूँ।

स्थानः

तारीखः

आवेदकों के हस्ताक्षर

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप – एस.आर.-54

[देखें नियम-125(ड़)-1(I)]

उत्तर प्रदेश मोटर यान समूहक और वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के अधीन समूहक/वितरण सेवा प्रदाता अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन

सेवा में,

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

उत्तर प्रदेश मोटर यान समूहक और वितरण सेवा प्रदाता नियमावली, 2026 के नियम 125ङ(5) के अधीन (अनुज्ञप्तिधारक का नाम) के नाम पर जारी की गई अनुज्ञप्ति, जिसकी संख्या [.........................] है, निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गयी/नष्ट हो गयी/पूरी तरह से निष्क्रिय हो गई/गंदी हो गयी/जीण-शीर्ण हो गई है:[.....................................]

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि, मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, अनुज्ञप्ति को अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन निलंबित या रद्द नहीं किया गया है, और ऊपर वर्णित की गयी परिस्थितियाँ सत्य हैं। मैं/हम अनुज्ञप्ति की द्वितीय प्रति जारी करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ।

निष्क्रिय/गंदे/फटे/जीण-शीर्ण मूल अनुज्ञप्ति संलग्न है/अनुज्ञप्ति खोने के विरूद्ध दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

स्थान:

तारीख:

आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(कंपनी की मुहर के साथ, जैसा लागू हो)

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-3/2026/183(1)/तीस-4-2026/30-4099(099)/72/2021/1404987, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 13.03.2026 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 150 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-3/2026/183(2)/तीस-4-2026/30-4099(099)/72/2021/1404987, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह
विशेष सचिव

संख्या-3/2026/183(3)/तीस-4-2026/30-4099(099)/72/2021/1404987, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, कैसरबाग, लखनऊ।
6- अपर परिवहन आयुक्त (राजस्व), उत्तर प्रदेश।
7- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan

Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.3/2026/183/XXX-4-2026/30-4099 (099)/72/2021/1404987 dated 13 March, 2026

Notification

No.3/2026/183/XXX-4-2026/30-4099(099)/72/2021/1404987

Lucknow: Dated, 13 March, 2026

Government of Uttar Pradesh

Transport Section-4

The following draft rules which the Governor of Uttar Pradesh proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897), read with sub-section (1) of Section 93 and sub-section (3) of Section 67 and clause (xxxiii) of sub-section (2) of Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), is here by published as required under sub-section (1) of Section 212 of the said Act of 1988, for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect there of.

- Objections and suggestions, if any, in respect of the proposed rules should be addressed in writing to the Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, Transport Section-4, Bapu Bhawan, Secretariat, Lucknow or on Email ID specialsecretarytransport@gmail.com.
- Any person who has submitted objections and suggestions in writing may appear for a hearing before the Special Secretary, Government of Uttar Pradesh, Transport Section-4, Bapu Bhawan, Secretariat, Lucknow, in Room No. 434 on at 09:30 am to 06:00 pm.
- Only such objections and suggestions will be considered as are received within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

http://shasanadesh.up.gov.in

Draft Rules

The Uttar Pradesh Motor Vehicle (Aggregator And Delivery Services Provider) Rules, 2026

Title	
"Short Title, Commencement and Extent"	1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Motor Vehicle (Aggregator and Delivery Services Provider) Rules, 2026.

	(2) They shall come into force after fifteen days from the date of their publication in the Official Gazette. (3) They shall apply to the aggregator operations within the State of Uttar Pradesh.
"Insertion of a New Chapter"	2. After Chapter V of The Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules,1998, the following new Chapter shall be inserted, namely:— Chapter V-A The Uttar Pradesh Motor Vehicle (Aggregator and Delivery Services Provider) Rules, 2026
To be enforced/ brought into force	125-A: This Chapter shall apply to all transport vehicles associated with any aggregator and Delivery Service Provider
"Definitions"	125-B. Definitions.— (1) In this Chapter, unless the context otherwise requires,— i. "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988; ii. "Aggregator" shall have the meaning assigned to it in clause (1A) of Section 2 of the Motor Vehicle Act, 1988; iii. "App" means a digital application developed and maintained by an aggregator or any third party on behalf of the Aggregator; iv. "Application Fee" means the charges in respect of an application under Rule 125-F; v. Delivery Service Provider- shall mean any person or entity who either owns, or operates/ onboard, or manages a fleet of motor vehicle(s) either through a digital or electronic facility, or any other means to connect a driver offering to deliver / pick up a product, courier, package, or parcel to connect with a seller, e-commerce entity or consignor. vi. E-Commerce Entity- means any person or an entity that owns, or operates or manage a digital or electronic facility or platform for electronic commerce, but does not include any entity or business notified otherwise by the Government for the said purpose from time to time. vii. "Apportioned Fare" means such part of the fare as is retained by the aggregator; viii. "Competent Authority" means the State Transport Authority Uttar Pradesh authorised to issue license under

http://shasanadesh.up.gov.in

	Section 93 of the Act; ix. "Contract" means the agreement between the aggregator and the driver, specifying the rights and obligations of both parties for providing services to a passenger through the app of such aggregator; x. "Designated Portal" means the portal referred to in Rule 125-D of this Chapter, to be established and notified by the Central Government; xi."Driver Fare" means such part of the fare payable by aggregator to the driver for the services rendered to the passenger through the App in undertaking a journey, including any cost of toll(s) and parking fee(s) paid by the driver; xii. "Dynamic Pricing" means the output of the fare algorithm of the fare of the aggregator, where by the fare of a journey is raised when demand for trips exceeds supply of vehicles; xiii. "Fare"means the total charge payable by the passenger (including any applicable discount/surge) to the aggregator, pursuant to the passenger availing the transportation services on the aggregator platform through the App for a journey, xiv. "Form" means a form appended to these Rules; xv. "Grievance Redressal Officer cum Compliance Officer" means a person appointed by the aggregator or Delivery Services Provider who shall be a full time employee of the applicant holding necessary authorization to act on behalf of aggregator or Delivery Service Provider with delegated power of attorney, holding responsible position, capable of representing the Aggregator or Delivery Service Provider with competent authority and nodal officers of Transport Department and shall be sole point of contract for the transport department and shall be responsible for redressal of grievance of any passenger or driver; xvi. Nodal Officer- means every Assistant Regional Transport Officer (Administration), Regional Transport Officer (Administration) and Deputy Transport Commissioner(Zone) to co-ordinate with grievance

http://shasanadesh.up.gov.in

Redressal Officer, appointed by Aggregator or Delivery Service Provider for the purpose of redressal of grievances of driver or passenger in their respective areas.

xvii. "Induction Training Programme" means the induction training programme specified under Rule 125-K of these Rules;

xviii. "Journey" means a trip whether undertaken or not, on a specified date and time from the place of departure, to the destination, and may include the type or class of the motor vehicle being used to undertake the travel plan;

xix. "Licence" means the licence issued to an aggregator by the competent Authority;

xx. "Licence Fee" means the fee payable under rule 125F of these rules;

xxi. Commercial Car Pooling Arrangement- means a journey undertaken using a commercial motor car onboarded on aggregator platform mentioning with departing point and time schedule with final destination as decided by the aggregator with registration number of the vehicle.

xxii. "On-Board" together with its grammatical variations, means the process of registering drivers and vehicles on the digital platform by the aggregator;

xxiii. "Off-Board" together with its grammatical variations, means the process of deregistering the driver and vehicle on the digital platform by the aggregator.

xxiv. "Passenger" means a person who uses the app of the aggregator to undertake a journey;

Explanation: for the purpose of this clause the Expression "Passenger" shall also include a person refers to an individual who has booked the ride and extends to any other individual on whose behalf the ride is booked;

xxv. "Rating" means the feedback of passenger / or consumer as regards to her/his satisfaction on a scale of 1 to 5 (1 being poor and 5 being excellent) of the servicer as provided on the platform of the aggregator or the delivery service provider.

xxvi. "Refresher Training Programme and Assessment" means a training session for drivers

http://shasanadesh.up.gov.in

	integrated with the aggregator, for a period of at least forty eight(48) hours and for a duration of 10 hours in one continuous session, delivered in-person and in virtual training sessions. xxvii. "Security Deposit" means the amount that is payable by an aggregator under Rule 125-G, to be submitted along with the licence fee, furnished in the form of a bank guarantee; xxviii. "Base Fare" means the rate of fare notified by the State Government or the State Transport Authority, Uttar Pradesh; xxix. "Day" means a period of twenty-four hours commencing at 12:00 midnight; xxx. "Area of Operation" shall be the entire State of Uttar Pradesh including NCR districts of Uttar Pradesh. (2) Words and expressions used but not defined in this Chapter shall have the meanings respectively assigned to them in the Act and the Central Rules made thereunder.
"Applicability of the Rules"	125-C (1) These rules shall apply to any aggregator, delivery service provider and e-commerce entity, who have on boarded two Wheeler, three Wheeler (including e-rickshaw] and four Wheeler passenger vehicles and buses and for delivery service provider who have on boarded any category of delivery vehicles for operating within the State of Uttar Pradesh (including NCR districts of Uttar Pradesh). Provided that, the Aggregator/ Delivery Service Provider, permit holder of the vehicle and driver shall ensure compliance with all applicable permit conditions and directions no.94 of CAQM or any further directions issued by CAQM or any other Competent Authority for NCR (2) These rules shall not apply to such entities which confine themselves to providing an interoperable network for licensed aggregators authorized by the Competent Authority and do not directly engage drivers or motor vehicles or both. (3) These rules shall not apply to entities engaged in the business of selling tickets for travel by public service vehicles.
"Designated Portal	125-D.—

http://shashadesh.up.gov.in

by the Central Government"	1- The portal for single-window approval of applications for licences, which shall include the receipt of the prescribed application fee, licence fee and security deposit: Provided that the Transport Commissioner of Uttar Pradesh shall develop a state portal to real time monitoring the vehicles on boarded on Aggregator or Delivery Service Provider platform including the seprate provision on portal for the vehicle plying in NCR.
"Procedure for Grant of Licence"	125-E.— 1. Any person may apply for the grant of a licence in Form SR-51 appended to these Rules, along with proof of payment of the fee prescribed under Rule 125-F on designated portal. 2. All existing Aggregator and Delivery Service Provider operating within the State of Uttar Pradesh shall obtain a license within a period of 90 days of notification of this rule. 3. All new Aggregator and Delivery Service Provider shall obtain license under this Rule prior to initiating their operations within U.P. 4. State Transport Authority shall be Competent Authority for issue of the Licence throughout the territorial jurisdiction of the state. 5. The Competent Authority shall take a decision on an application made under sub-rule (1) within a period of ninety days from the date of such application. 6. If the applicant fails to comply with any of the conditions specified for the grant of licence under these Rules, as may be determined by the Competent Authority, the Competent Authority may, after giving the aggregator an opportunity of being heard, reject such application by recording the reasons in writing. 7. On being satisfied that the applicant has complied with all the conditions specified for grant of a licence under these Rules, the Competent Authority shall, direct the applicant to pay the

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td>appropriate licence fee and required security deposit as prescribed in Rule 125G, within a period of thirty (30) days.

8. On payment of the licence fee and furnishing of the security deposit, the Competent Authority shall grant the licence to the applicant in Form SR-52 appended to these Rules, within a period of fifteen (15) days from the date of such payment.

9. The list of Licences issued by the Competent Authority under these Rules shall be uploaded and updated by the Competent Authority on Designated Portal of Central Government and the State Government’s State Transport Portal.</td></tr>
<tr><td>Issue of Duplicate Licence</td><td>125E-1

When any licnce has been lost or destroyed, the holder shall forthwith intimate the facts with a copy of FIR to the Transport Authority by which licence was issued, and shall deposit the fee prescribed in Rule 125F with the application in Form SR54.

1. The Transport Authority, upon received an application, after satisfying itself, issue a duplicate licence.

2. A duplicate licence issued under this Rule shall be clearly marked duplicate in red ink</td></tr>
<tr><td>“Fee for Aggregator”</td><td>125-F—
The fee payable under the various provisions of this Chapter shall be as specified in the Table below:
Table
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>Amount (in ₹)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Application Fee</td><td>25,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Grant of Licence</td><td>5,00,000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Application for Renewal of Licence</td><td>5,000</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Renewal of Licence</td><td>5,00,000</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Application for Recording Change of Address of Licensee</td><td>25,000</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Issue of Duplicate Licence</td><td>10,000</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Appeal</td><td>10,000</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr>
<td>“Security Deposit”</td>
<td>125-G.—
The amount of security deposit to be furnished by the aggregator shall be as follows:
Table
<table>
<tr><th>Sl. No.</th><th>Particulars</th><th>Amount (in ₹)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Up to 100 buses or up to 1,000 other motor vehicles</td><td>10,00,000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Up to 1,000 buses or up to 10,000 other motor vehicles</td><td>25,00,000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>More than 1,000 buses or more than 10,000 other motor vehicles</td><td>50,00,000</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>“Validity of Licence, its renewal and matters connected therewith</td>
<td>125-H.—
1- A licence shall remain valid for a period of five years from the date of its issue.
2- Licence may be renewed by the Competent Authority for a further period of five years, on an application made in Form SR-53 before 60 days of its expiry along with payment of the fee and required security deposit as prescribed in Rule 125G.
3- Not with standing anything contained in sub rule 2, the Competent Authority may entertain an application for the renewal of license after the last date specified,
i. Along with rupees one thousand (1,000) penalty for delaying per day before specified in sub rule 2,
ii. Rupees two thousand (2,000) penalty for delaying per day after expiry of the license,
4- For the purposes of such renewal, the Competent authority shall examine:
a) The aggregator’s records of compliance of applicable rules and regulations,
b) The punitive actions taken against the aggregator, if any.</td>
</tr>
<tr>
<td>“Eligibility for Obtaining Licence”</td>
<td>125-I.—
1- The applicant shall be a company registered under the Companies Act, 2013 or a Limited Liability Partnership, or a co-operative society formed by associations of drivers or motor vehicle owners and registered under the Co-</td>
</tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

	operative Societies Act, 1912. 2- The applicant shall comply with the applicable laws, including but not limited to, the Act or the rules and regulations made there under, the Digital Personal Data Protection Act, 2023, the Consumer Protection Act, 2019, and the Information Technology Act, 2000 together with the intermediary rules issued there under. 3- The applicant shall have an office in Uttar Pradesh.
"Conditions for Grant of Licence to Aggregator"	125-J.— An applicant desirous of obtaining a licence shall comply with the following conditions: 1. The applicant shall comply with all the rules. 2. The aggregator shall ensure arrangements for induction training Programmes for drivers by own or by outsourcing the same to an authorized third party. 3. The aggregator shall conduct or arrange induction training programmers under Rule 125-K for drivers to be engaged, and also for those already engaged before the commencement of these Rules. 4. The aggregator shall give written intimation to the Competent Authority about the commencement of services and shall update the same within six (6) months from the date of grant of licence, failing which the licence may be cancelled by the Competent Authority. 5. At least seventy-two (72) hours prior to the commencement of services, the aggregator shall notify the Competent Authority, through emailor in person and such intimation shall be uploaded on the designated portal by the Competent Authority. 6. The aggregator and the onboarded drivers shall comply with any rules issued by the Central Government or the State Government relating to health or public safety. 7. The aggregator shall ensure insurance coverage of not less

http://shasanadesh.up.gov.in

	than rupees five lakh for passengers. 8. The aggregator shall not restrict or prohibit onboarded drivers from operating with multiple aggregators. 9. The aggregator shall develop a mechanism within the app for both drivers and passengers to evaluate and rate the quality of overall experience of a journey. 10. The aggregator shall allow onboarding of motor vehicles possessing valid contract carriage permits in case of passenger vehicles(if not exempted from the necessity of permit) and desirous of onboarding, subject to compliance with the relevant provisions of these Rules. 11. The aggregator should not have had its license cancelled in the past one year. 12. A Grievance Redressal Officer cum Compliance Officer shall be appointed by the aggregator or Delivery Services Provider who shall be a full time employee of the applicant holding necessary authorization to act on behalf of aggregator or Delivery Service Provider with delegated power of attorney, holding responsible position, capable of representing the Aggregator or Delivery Service Provider with competent authority and nodal officers of Transport Department and shall be sole point of contract for the transport department and shall be responsible for redressal of grievance of any passenger or driver. The details of the Grievance Redressal Officer, including his name, educational qualification, email address and telephone number, shall be made available by the aggregator on its app and website. 13. The aggregator shall commence business operations within six months from the date of grant of licence, failing which the licence shall be cancelled.
“Induction Training Programme”	125-K.— 1- When any driver make a request to on board any aggregator platform, in case aggregator accept the request for the same, prior to on boarding, The aggregator shall ask

http://shasanadesh.up.gov.in

	driver for induction training. 2- The induction training programme for drivers shall be of a minimum duration of forty (40) hours, consisting of a combination of in-person and virtual training sessions. The detailed curriculum of this programme shall be made available online by the aggregator. The programme shall provide training to drivers on the following:— a. use of the aggregator's app; b. relevant provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998, and other related Acts and Rules; c. relevant provisions of the Motor Vehicles (Driving) Regulations, 2017 d. at least six hours of first responder training for emergency action and assistance in the event of road accidents; e. careful driving practices, traffic rules, motor vehicle maintenance, fuel-efficient driving, conduct and behaviour; f. familiarisation with routes g. terms of agreement between the driver and the aggregator; h. gender sensitisation, sensitisation towards persons with disabilities, and special training on mobility requirements; i. such other training as may be prescribed by the State Government. 3- The aggregator shall upload the details of the induction training framework on the designated portal.
"Refresher Training Programme"	125-L: The drivers whose rating falls below five percentile from amongst all drivers who are placed similarly in terms of the duration of engagement with the aggregator, shall compulsorily under go refresher training programme every quarter, in absence of which the driver shall not continue to provide services through the aggregator.

http://shasanadesh.up.gov.in

Compliance in Relation to Drivers	125-M.— 1- For the purpose of onboarding drivers, the aggregator shall ensure compliance with the following conditions, namely:— (a) Prior to onboarding, the aggregator shall mandatorily verify the Aadhaar card of the driver by obtaining access from UIDAI for the purpose of establishing clear identification and address verification of the driver. (b) The driver shall possess a valid driving licence for the type or class of vehicle to be on boarded during the on boarding period. (c) The driver shall have a minimum of two years of driving experience. (d) The driver shall have a valid bank account in his name. (e) The driver shall not have been convicted within the last three (3) years for any of the following offences, namely:— (i) Offence of driving a vehicle under the influence of narcotic drugs or alcohol; and (ii) Any cognisable offence under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, as applicable, including offences involving fraud, sexual offences, use of motor vehicle in commission of a cognisable offence, offences causing damage to or theft of property, acts of violence, acts of terrorism, or acts causing nuisance or danger to the public. (f) The driver shall undergo a medical examination, including an eyesight test, for fitness, at a hospital or medical institution identified by the aggregator. (g) The aggregator shall ensure psychological evaluation of the driver by a registered psychiatrist to determine his fitness for onboarding. (h) The character and antecedents of the driver shall be verified by the police at least seven (7) days prior to onboarding, and the aggregator shall maintain a written record of such verification. (i) An agreement shall be executed between the aggregator and the driver, specifying the rules and conditions applicable for onboarding and operation of the vehicle in the State language; and the standard terms and conditions shall be made available by the aggregator online on its website. Provided that hours of work of driver shall be as per provisions of Motor Vehicles Act, 1988, Uttar Pradesh Motor

http://shasanadesh.up.gov.in

	Vehicles Rule, 1998 and Labour Laws. 2- Provided that compliance with the above conditions shall continue throughout the validity of the licence held by the aggregator.
Provisions for Welfare of Drivers	125-N.— 1- For the welfare of drivers, the aggregator shall ensure compliance with the following conditions, namely:— (a) A health insurance cover of not less than rupees five lakh shall be ensured for every driver, with annual increments as notified by the Central Government. (b) A term insurance accidental insurance cover of not less than rupees ten lakh shall be ensured for every driver, with annual increments as notified by the Central Government. (c) Provided that upon the provisions made under the Code on Social Security, 2020 being notified and brought into force, sub-clauses (a) and (b) shall apply accordingly. (d) Annual refresher training programmes, in the form of a combination of in-person and virtual training sessions, shall be organised through internal resources or with the support of other institutions, and records of such training shall be maintained. Provided that the drivers whose rating falls below five persentile from amongs all drivers who are placed similarly in terms of the duration of engagement with the aggregator, shall compulsorily under go refresher training programme every quarter, in absence of which the driver shall not continue to provide services through the aggregator. 2- If a complaint is lodged by a passenger against a driver for violation of provisions of the Act, the rules, or these guidelines, the Grievance Redressal Officer as appointed by aggregator shall conduct an inquiry within three (3) days from the date of the complaint, and only upon completion of such inquiry shall appropriate action be taken against the driver. The passenger and Nodal Officer shall be informed of the outcome of such inquiry by the aggregator through Grievance Redressal Officer 3- hours of work of driver shall be as per provisions of Motor Vehicles Act, 1988, Uttar Pradesh Motor Vehicles Rule, 1998 and Labour Laws.

http://shasanadesh.up.gov.in

Maintenance of Documents	125-O.— The aggregator shall maintain digital records of documents relating to on boarded drivers, duly authenticated from the SARATHI portal and such other documents as may be considered appropriate by the aggregator, including the following:— (a) One photograph; (b) Original driving licence; (c) Aadhaar card; (d) Verified details of the bank account; (e) Names, addresses and contact numbers of two emergency contacts.
Permits	Rule 125-P.— The aggregator shall ensure that all transport motor vehicles, if not exempted from the permit,possess valid permits as required under the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 and the Central Motor Vehicles Rules, 1989.
Compliance in Relation to Vehicles	Rule 125-Q.— 1- The aggregator shall ensure that the motor vehicles associated with on boarded drivers comply with the following conditions:— (a) Valid registration as transport vehicle; (b) Valid fitness certificate as required under the Act; (c) Display of registration mark as prescribed under the CMVR; (d) Valid third-party insurance policy with passenger insurance, ensuring coverage for each passenger traveling in the vehicle; (e) Valid Pollution Under Control (PUC) certificate as required under the Central Motor Vehicles Rules, 1989; (f) Compliance with emission norms specified by the State Government for the State or any urban area thereof, as the case may be; (g) Compliance with city-specific fuel norms; (h) As per direction No. 94 of Commission for Air Quality Management in National Capital Region & Adjoining Areas, towards abatement of vehicular pollution and for faster transition to cleaner mobility in NCR, (i) Only CNG/ Electric 3-Wheeler Autorickshaws shall be additionally inducted in the existing fleet of vehicles in NCR, (ii) No conventional ICE vehicles running purely on diesel or

http://shasanadesh.up.gov.in

	petrol shall be further inducted in the existing fleet of 4-Wheeler LCVs, 4-Wheeler LGVs(N1 category upto 3.5 Ton) and 2-Wheelers with effect from 01.01.2026 in NCR; (j) Any further direction of CAQM or any other Competent Authority shall be applicable. (k) Payment of applicable motor vehicle tax and other dues; (l) Clearance of all pending Challans relating to offences and violations under the Act in respect of the motor vehicle; (m) Display of copies of the driver's licence and motor vehicle permit (if applicable) inside the vehicle (excluding motorcycles), affixed behind the front passenger seat adjacent to the driver, so as to be clearly visible to passengers seated in the vehicle; (n) Installation of functional vehicle location tracking device or system compliant with AIS-140, with a panic button, as mandated under Rule 125-H of the CMVR, connected electronically with the aggregator's control room and integrated with the State Government Command and Control Centre; (o) Disabling of child-lock mechanism in accordance with applicable law (excluding three-wheelers, motorcycles and buses); (p) Activation of manual override for central locking system in accordance with applicable law (excluding three-wheelers, motorcycles and buses); (q) Provision of a fire extinguisher of adequate capacity inside the motor vehicle (excluding motorcycles); (r)Provision of a first-aid kit inside the motor vehicle; (s) Functional speed governor fitted in the vehicle as per law; 2- The aggregator shall not onboard vehicles which have the age of more than twelve years and shall ensure that all vehicles on boarded by it are not more than twelve years old. Provided that city/ area fuel norms, and prescribed permit condition related to age for different categories of vehicle for different cities/area (if not more than twelve years) shall be applicable; 3- The aggregator shall verify and maintain records of the following documents in respect of all motor vehicles operated by it, and authenticate such data on the VAHAN portal on a real-time basis:— (i) Registration Certificate; (ii) Fitness Certificate under the Act;

http://shasanadesh.up.gov.in

	(iii) Chassis and engine numbers; (iv) Third-party insurance policy (with insurance cover of rupees five lakh for passenger); (v) Pollution Under Control certificate; and (vi) Details of pending e-Challans prior to onboarding and proof of settlement thereof.
Compliance in Relation to Website, App and Technology	125-R. 1) The aggregator shall ensure the following compliances with respect to its website, app and technology, namely 2) The aggregator shall develop and maintain a website displaying details of its ownership, registered address, fare structure, contact details for customer services, email address, the services offered and other relevant particulars. 3) The app shall be developed in conformity with the applicable laws. 4) The vulnerability and cyber security of the aggregator's app shall be certified by a cyber security firm recognised and empanelled by CERT-In. 5) Data including but not limited to trip details, passenger details, and fares, among others, shall be generated on the aggregator's app and stored minimum of 3 months and maximum of 12 months from its date of which data was generated. Data shall be made available to Transport Department of U.P. as per due process of law including the Digital Personal Data Protection Act, 2023. 6) The ratio of driver's share of fare, incentives, details of driver's share and split fare, and such other information as may be notified by the State Government, shall be made publicly available by the aggregator by updating the same on its website and app. 7) The app shall include a feature enabling passengers to share their live location and trip status until the completion of the trip, after which the live location sharing facility shall cease. 8) For transport car pooling purpose special feature shall be given to search specific originating location and

http://shasanadesh.up.gov.in

	destination with registration number of vehicle and an option to take consent of female passenger in case of male co-passenger. 9) The app shall include special features making it accessible to persons with disabilities. 10) The aggregator shall display a clear, high-resolution photograph of the onboard driver on the app. 11) The aggregator shall formulate and implement a strict zero-tolerance policy against the use of narcotic substances or alcohol by onboard drivers while on duty. The aggregator shall upload its policy and the procedure for lodging complaints in this regard on its website and app. Upon receipt of a complaint alleging violation of such zero-tolerance policy, the aggregator shall immediately off-board the driver pending inquiry, and suspension of the driver shall continue during the inquiry period. 12) The contact information of the driver undertaking the trip shall remain available to the passenger through the app for at least seven (7) days after completion of the trip. 13) The aggregator shall establish a 24x7 control room and ensure uninterrupted connectivity of all on-boarded motor vehicles with the control room, which shall monitor the activities of the motor vehicles and the drivers therein. 14) The aggregator shall ensure integration of its app, web site to State Transport Portal. 15) The aggregator shall establish a call centre with an active telephone number and email address, clearly displayed on its website and app, which shall function 24x7 and provide assistance in English as well as in the official language of the State. Such call centre shall be responsible for— (i) enabling passengers, drivers or any other person to contact the call centre regarding issues related to the trip or the onboard driver; and (ii) ensuring redressal of passenger complaints. The aggregator shall cooperate with duly authorized officers investigating accidents or incidents involving motor vehicles or onboard drivers engaged by the aggregator. (16) The aggregator shall make provision in its application to

http://shasradesh.up.gov.in

	enable passengers to voluntarily offer a tip to the driver, which option shall be displayed only after completion of the trip on the application, and the entire amount of such tip shall be transferred to the driver's account without any deduction. The provision of such facility shall be in compliance with the Consumer Protection Act, 2019 and the rules and regulations made thereunder. (17) The application developed by the aggregator shall provide passengers with the option to select a driver of the same gender, where drivers of both genders are on boarded on the aggregator's platform.
Compliance for Ensuring Passenger Safety	125-S. 1- The aggregator shall ensure compliance with the following conditions relating to passenger safety, namely:— (a) Vehicle location tracking devices (VLTD) installed in all motor vehicles, according to the policy of State of Uttar Pradesh, shall remain functional, transmit data and be integrated with the Integrated Command and Control Centre of the State Government. Explanation: For the purposes of these guidelines, location tracking shall include in-app location tracking for all motor vehicles, including motorcycles and three-wheelers. (b) The driver shall follow the route displayed in the app, and in case of deviation, the app shall trigger an alert to the control room, which shall immediately contact the driver and the passenger. (c) Passenger safety, particularly of children, women and persons with disabilities, shall be ensured in compliance with applicable laws. (d) The app shall have a mechanism to verify that the identity of the driver undertaking the trip is the same as that verified by the police during the on boarding process. (e) Regular inspections of on boarded motor vehicles shall be carried out by authorized personnel of the aggregator. (f) For the purpose of ensuring the safety of women passengers, the application developed by the aggregator shall, through a specified feature, provide the option to select a female driver, wherever female drivers are on boarded on the aggregator's platform

http://shasanadesh.up.gov.in

Non-Discrimination Policy by Aggregator	Rule 125-T The aggregator shall treat motor vehicles owned by third parties, which provide onboard drivers, at par with motor vehicles owned by itself.
Regulation of Fares	Rule 125-U. 1) The base fare notified by the State Government for the relevant category or class of motor vehicles shall be the base fare chargeable from passengers availing services through the aggregator. 2) The Base fare chargeable shall be for a minimum of three(3) kilometers to compensate for dead mileage including the distance travelled without a passenger and the distance travelled and fuel utilized for picking up the passenger(s). 3) The aggregator may apply dynamic pricing, subject to a minimum of fifty percent (50%) and a maximum of one and a half times (150%) of the base fare. 4) In case of transport car pooling the fare payable to aggregator shall be divided among the passenger as per provision given in (1), (2) and (3) above, 5) A driver on boarded with the aggregator using his own motor vehicle shall receive not less than eighty percent (80%) of the applicable fare, including all costs under driver's share of fare, on a daily basis, and the remaining portion may be retained by the aggregator as Apportioned fare. 6) In respect of motor vehicles owned by the aggregator, the onboard driver shall receive not less than sixty percent (60%) of the applicable fare, including all costs under driver's share of fare, and the balance shall be retained as Apportioned fare by the aggregator. 7) No passenger shall be charged for dead mileage except where the pick-up distance is less than three (3) kilometers as provided under sub-rule (2); the fare shall be charged only from the point of commencement of the journey to the drop-off point of the passenger.

http://shasanadesh.up.gov.in

Cancellation of Trip	Rule 125V.— 1- Where a driver cancels a booking after accepting it on the app without valid reasons specified by the aggregator on its website and app, a penalty of ten percent (10%) of the total fare, subject to a maximum of ₹100, shall be imposed on the driver and collected by the aggregator, and an equivalent concession shall be given to the passenger in the fare of the next booking. 2- Where a ride is cancelled by a rider on account of non-reporting of the vehicle within 10 minutes after the expected reporting time of the vehicle, or where the driver has not reported within 10 minutes from the expected scheduled time of arrival, such cancelation shall be deemed to be a cancellation of the ride by the driver . In such case, a penalty of rupees one hundred shall be levied on the driver, and the said amount shall be imposed on the driver and collected by the aggregator, and an equivalent concession shall be given to the passenger in the fare of the next booking. 3- Where a passenger cancels a booking after it has been made on the app, a penalty of ten percent (10%) of the fare, subject to a maximum of ₹100, shall be imposed on the passenger and recovered with the fare of the next booking, provided such cancellation is in contravention of the guidelines specifically mentioned on the aggregator's website and app. The amount so collected shall be shared between the driver and the aggregator in the ratio specified under Rule 125-U of these Rules.
Penalty	Rule 125-W.— Any Aggregator or Delivery Service Provider, who make any violation or non compliance under the Motor Vehicle Act, 1988 or this Rule- 1. This Rule is made under chapter V of the Act, this provision shall be applicable upon an aggregator or delivery service provider. this Rule shall be applicable and enforceable in addition to the compliances and penalties provided under the Motor Vehicle Act, 1988 and shall be read in conjunction with the existing provisions of the Act. 2. Penalties shall be imposed as per Motor

http://shasanadesh.up.gov.in

<table>
<tr><td></td><td>Vehicles Act, 1988 and Rules made there under for violation or non-compliance under the Act and or also under the Aggregator and Delivery Service Provider Rule, 2026 for following circumstance –

i. If the Competent Authority is of the opinion that who ever is engaged in providing services as an aggregator or delivery service provider and is operating without a licence or whose licence has been expired / suspended / revoked then the Competent Authority shall be at liberty to impose appropriate penalty as per the provisions of the Act or of any Rules made there under shall be punishable with fine up to one lakh rupees but shall not be less than twenty five thousand rupees</td></tr>
<tr><td>Sustainable Fleet Management by Aggregators</td><td>Rule 125-X.—
The aggregator shall progressively increase the proportion of electric, alternative fuel or zero-emission vehicles in its fleet by five percent (5%) annually.</td></tr>
<tr><td>Transition to Electric Mobility</td><td>125-Y.—
1- The aggregator and Delivery Service Provider shall mandatorily comply with the prescribed targets for inclusion of electric vehicles in its fleet as determined by CAQM direction no.94 and further direction issued by CAQM or any other Competent Authority for NCR.
2- For the rest of State the target for adoption of EV in fleet of passenger and goods vehicles shall be as follows-
<table>
<tr><td rowspan="2">Time line</td><td colspan="2">The target for adoption of passenger EVs</td><td colspan="2">the target for adoption of goods EVs</td></tr>
<tr><td>Two and three wheeler</td><td>Four Wheeler</td><td>Two and three wheeler</td><td>Four Wheeler</td></tr>
<tr><td>Within the first six months from the date of notification of this Rule</td><td>10%</td><td>1%</td><td>2%</td><td>1%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

	Within the one year from the date of notification of this Rule	15%	2%	4%	2%
	Within the two years from the date of notification of this Rule	20%	4%	8%	4%
	Within the three years from the date of notification of this Rule	25%	7%	15%	7%
	Within the four years from the date of notification of this Rule	35%	10%	20%	10%
	Within the five years from the date of notification of this Rule	50%	15%	30%	15%
Aggregation of Transport / non Transport Motorcycles by Aggregators	125-AA.— 1- In order to reduce traffic congestion and vehicular pollution, and with the objective of providing affordable passenger mobility, the aggregation of transport motorcycles and transport/ non transport motorcycle for hyper local delivery through aggregators shall be permitted. 2- Onboarding of drivers by the aggregator under this clause shall conform to the standards prescribed under these Rules.				
Suspension of Aggregator's Licence	125-AB.— 1- The licence granted to an aggregator may be suspended by the Competent Authority, by a written order ("Suspension Order"), either suomotu or after inquiry upon receipt of a complaint against the aggregator. The suspension may extend up to a period of three (3) months. 2- The Suspension Order shall be passed after giving the aggregator a hearing within ten (10) days of receipt of such complaint or initiation of proceedings. 3- The following grounds, amongst others, shall be considered as				

http://shasanadesh.up.gov.in

	grounds for suspension of licence: (a)Failure of the aggregator to ensure passenger or driver safety as determined through rational analysis of quarterly rating parameters prescribed by the State Government; (b) Repeated violations in relation to fares charged from passengers, including imposition of unfair dynamic fares, non-compliance with guidelines relating to proportional fare sharing between drivers and aggregator, or levying of unjustified charges on drivers; (c) Failure of the aggregator to comply with contractual obligations with drivers; (d) Failure of the aggregator to comply with these Rules; (e) Endangering passenger safety or interests of drivers; (f) Violation of safety standards by the aggregator resulting in road accidents; (g) Serious financial irregularities revealed through audit of the aggregator's accounts; and (h) Any other parameter as the Competent Authority may consider reasonable and appropriate. 4- Provided that where the Competent Authority is of the opinion that suspension of the licence is not feasible or desirable, it may impose a monetary penalty on the aggregator, ranging from a minimum of ₹1,00,000 to a maximum of ₹1,00,00,000, depending on the magnitude and gravity of the violation alleged. 5- Upon suspension of licence, the aggregator shall immediately cease all operations under the licence until the suspension is revoked or the suspension period expires. 6- Before the expiry of the suspension period, the aggregator shall submit a written undertaking that the grounds for suspension specified in the Suspension Order have been rectified. 7- The Competent Authority shall thereafter pass an order acknowledging compliance with the grounds of suspension and acceptance of the undertaking. 8- The aggregator shall then resume operations for a probationary period not less than two (2) months and extendable up to six (6) months, during which it shall ensure compliance with these Rules. Any violation during this period that warrants suspension may directly result in cancellation of the licence

http://shasnadesh.up.gov.in

	under Rule 125-AE.
Cancellation and Surrender of Aggregator's Licence	125-AC.— 1- The competent authority may start the proceeding for cancellation of license under following circumstances (a)- The licence of the aggregator has been suspended thrice in a financial years and commits one more violation warranting suspension; or (b) The aggregator has committed or caused to be committed a violation of such serious nature that endangers the safety of passengers or drivers,— 2- The Competent Authority shall issue a show-cause notice requiring the aggregator to explain why its licence should not be cancelled. 3- The Competent Authority shall provide the aggregator an opportunity of hearing within ten (10) days of issuance of the show-cause notice and thereafter pass a reasoned order cancelling the licence or otherwise, and shall bring such cancellation to the notice of other States and the Central Government. 4- Where the licence is cancelled, the aggregator shall immediately cease all operations under the licence. 5- Without prejudice to the cancellation order, the security deposit furnished shall be forfeited. 6- An aggregator may voluntarily surrender its licence at any time, and upon such surrender, the security deposit shall be refunded to the aggregator after deduction of any outstanding dues, if any.
Appeal	125-AD.— 1- An aggregator aggrieved by an order of suspension or cancellation passed by the Competent Authority may prefer an appeal before the Principal Secretary, Transport, or such appellate authority as may be notified by him, within thirty (30) days of receipt of such order. 2- The appeal shall be in the form of a memorandum clearly stating the grounds of appeal, accompanied by the prescribed appeal fee as notified by the State Government, and a copy of the order passed by the Competent Authority. 3- The appellate authority shall provide the aggregator an opportunity of hearing and decide the appeal within sixty (60)

http://shasanadesh.up.gov.in

	days from the date of filing. 4- While deciding the appeal, the appellate authority may pass such order as it deems fit.
Powers of the State Government	125-AE.— 1- The Transport Commissioner or competent authority shall have the power, by written notice, to call for such information, documents or records from the aggregator as it may consider necessary for ensuring compliance with these Rules, and such power shall include the power to inquire into complaints against the aggregator. 2- The authority referred in sub rule (1) shall enable the aggregator to authenticate details of vehicles, drivers and vehicle owners on boarded through the VAHAN and SARATHI portals. 3- The Transport Commissioner or Competent Authority may, from time to time, issue such advisories, directions or orders as may be necessary for the proper implementation of these rules. 4- Every licensed aggregator shall submit to the Competent Authority such annual or periodic reports as may be required, in electronic form, in such format as may be prescribed and duly certified by the Competent Authority.
Amendment to the Second Schedule	125-AF.— In the Second Schedule, after Form SR-50, the attached new Forms - SR-51, SR-52, SR-53 and SR-54, shall be inserted.

Archana Agrawal
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

Form – S.R.-51

[See Rule–125E (1)]

Application for grant of license to aggregator/Delivery Service Provider under Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026

To,

The Secretary,
State Transport Authority,
Uttar Pradesh.

Sir/Madam,

I hereby apply for the grant of license to operate as an Aggregator/Delivery Service Provider in the State of Uttar Pradesh under the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026.

1.	Full Name	
2.	Address of the Registered Office in Uttar Pradesh	
3.	Number and addresses of branch offices, if any	
4.	(a) If a registered company, attach a copy of the Certificate of Incorporation along with a copy of the Memorandum of Association. (b) If a firm, attach a copy of the Firm Registration Certificate.	
5.	Name and address of key managerial personnel or authorized signatory	
6.	Contact details 1.Telephone/Mobile number 2.Website 3.E-mail	
7.	Proposed number of vehicles to be operated (attach a separate list with each vehicle's registration number and permit details, as applicable)	
8.	Details of GPS/GPRS facility	
9.	Details of other infrastructure	
10.	Details of the location of servers where data is proposed to be stored	
11.	Details of returns filed in the last three financial years (attach copies of financial statements of the last three years)	
12.	Details of application fee paid (as per Rule 125-F) – ₹ ...	

Declaration

I hereby declare that the information given above and the documents attached herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if at any time any information is found to be incorrect, the license granted to me may be cancelled and other legal action may also be initiated against me.

http://shasanadesh.up.gov.in

I have read the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026 and I accept and agree to comply with the said provisions and the applicable statutes and rules referred therein.

Place:

Date:

Signature of the Applicant/Authorized Signatory
(with Company Seal, as applicable)

http://shasanadesh.up.gov.in

Form – SR-52

[See Rule–125E (6)]

License for Aggregator/Delivery Service Provider under the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026

In compliance with the provisions laid down under the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026, a license is hereby granted under the Motor Vehicles Act, 1988 to operate as an Aggregator/ Delivery Service Provider.

1.	Full name of the Aggregator	
2.	Address of the Registered Office in Uttar Pradesh	
3.	Number and addresses of branch offices, if any	
4.	Contact details 1.Telephone/Mobile number 2.Website 3.E-mail	
5.	Number of Buses/ Other Motor Vehicles (as per the list attached by the Aggregator in SR-51, as applicable)	
6.	Details of the manner in which the Aggregator will operate	
7.	Details of application fee paid (as per Rule 125-F)	₹..
8.	Details of security deposit (as per Rule 125-G)	

The license holder shall comply with all the conditions contained in the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026.

Place:

Date:

( )

Secretary,

State Transport Authority

Uttar Pradesh.

http://shasanadesh.up.gov.in

Form – SR-53

[See Rule–125H]

Application for Renewal of License for Aggregator/Delivery Service Provider under the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026

To,

The Secretary,
State Transport Authority,
Uttar Pradesh.

Sir/Madam,

I hereby apply for the renewal of the license to operate as an Aggregator/ Delivery Service Provider in the State of Uttar Pradesh under the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026.

1.	Full Name	
2.	Address of the Registered Office in Uttar Pradesh	
3.	Number and addresses of branch offices, if any	
4.	(a) If a registered company, attach a copy of the Certificate of Incorporation/Registration along with a copy of the Memorandum of Association. (b) If a firm, attach a copy of the Firm Registration Certificate.	
5.	Name and address of key managerial personnel or authorized signatory	
6.	Contact details 1.Telephone/Mobile number 2.Website 3.E-mail	
7.	Number of vehicles proposed to be operated (attach a separate list with each vehicle's registration number and permit details)	
8.	Details of GPS/GPRS facility	
9.	Details of other infrastructure	
10.	Details of the location of servers where data is proposed to be stored	
11.	Details of returns filed in the last three financial years (attach copies of financial statements of the last three years)	
12.	License details:	

http://shasanadesh.up.gov.in

	(a)License number (b) Details of suspension(s), if any	
13.	Details of fees paid	– ₹
14.	Details of security deposit	

Declaration

I hereby declare that the information given above and the documents attached herewith are true to the best of my knowledge. I understand that if at any time any information is found to be incorrect, the license granted to me may be cancelled and other legal action may also be initiated against me.

I have read the provisions of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator andDelivery Service Provider Rules, 2026 and I accept and agree to comply with the said provisions and the applicable statutes and rules referred therein.

Place:

Date:

Signature of the Applicant
Authorized Signatory
(with Company Seal, as applicable)

http://shasanadesh.up.gov.in

Form – SR-54

[See Rule–125E-1(1)]

Application for Issue of Duplicate Aggregator/Delivery Service Provider License under the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026

To,
The Secretary,
State Transport Authority,
Uttar Pradesh.

Sir/Madam,

The license issued under Rule 125D(5) of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Rules, 2026 in the name of (Name of License Holder), bearing license number [……………………..], has been lost/destroyed/wholly rendered defunct/soiled/has become worn out under the following circumstances:

[………………………………]

I/We hereby declare that, to the best of my/our knowledge, the license has not been suspended or cancelled under the provisions of the Act or the rules made there under, and that the circumstances stated above are true.

I/We therefore apply for the issue of a duplicate license.

The defunct/soiled/torn/worn-out original license is enclosed / A copy of the First Information Report (FIR) lodged against the loss of the license is enclosed.

Place:

Date:

Signature of the Applicant/Authorized Signatory
(with Company Seal, as applicable)

http://shasanadesh.up.gov.in